THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Whatever he speaks will not go on record.

SHRI RAM AWADESH SINGH:**

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह ढाई बजे से जो बिजनेस चला है, वह प्राइवेट मैम्बर का बिजनेस है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि न तो इनकी कोई बात रिकार्ड की जाय और न इन्हें एलाऊ किया जाय।

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra): I am on a point of order, Sir. My point of order is that when the Private Members' Business is going on, no other business is allowed in the House. From that point of view, Mr. Ram Awadesh Singh had no right to say whatever he has said. Therefore, it should be expunged from the record.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I have said that nothing of what Mr. Ram Awadesh Singh has said will go on record. Now, Mr. Kunjachen will speak on the Resolution.

RESOLUTION REGARDING FORMULATION OF A COMPREHENSIVE NATIONAL WAGE POLICY BY GOVERNMENT—*Contd.*

SHRI P. K. KUNJACHEN (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, I support the Resolution moved by Shri P.N. Sukul on 28th July, 1989. I thought of moving an amendment. But as the Resolution had been moved on previous non-official day, it is not possible to move the amendment. As you see, it has been stated in the Resolution:—

> "....this House is of opinion that Government should rationalise its 'Wage Policy' for securing to all workers a living wage, as directed in article 43 of the Constitution and in pursuance thereof, formulate a comprehensive National Wage Policy, so that—"...

So, a wage policy alone is not sufficient. Actually, according to the latest estimates, there are 64 million agricultural workers in the country. If you take the rural poor as a whole, the figure comes to 110 million people. They are the most down-trodden people in the country. Even though minimum wages have been declared in various parts of the country, they are not being implemented. There is no machinery to implement the minimum wages. Even though the Government claims that there are Labour Officers etc. to implement them, but the actual position is that in many parts of the country, the agricultural workers are denied minimum wages. They are not getting the minimum wages. That is one thing.

Another thing is that the Conference of Labour Ministers held at Delhi in 1982 came to the conclusion that the minimum wages should be revised at a particular time. If the Cost of Living Index goes beyond 50 points, the wages should be revised. That is one suggestion. Otherwise, within a period of every two years the minimum wages should be revised. Yesterday, I got the list of minimum wages in all the States

**Not recorded

I find that in many States the minimum wages have not been revised from 1983 onwards. That is the position. Some States have revised the minimum wages in 1985-86. Many other States have not so far revised the minimum wages.

Taking all this into account, a comprehensive central legislation is a must in this respect. There was a Standing Committee on Unorganised Labour under the Government of India. That Standing Committee on Unorganised Labour unanimously recommended that a central legislation for agricultural workers is a must. They made a model legislation and it has been submitted to the Government of India. Many times, in Parliament itself the Minister of Labour announced that a central legislation will be brought forward. It was done in 1982 itself. But later on they went back on it. They are not prepared to bring a legislation. Let the States decide regarding the legislation, etc. That is the stand taken by the Government. Then in 1984, under the auspices of the Central Government itself, a technical conference was held with the participation of scientiststechnical persons, labour experts, etc. etc. And in that conference also it has been unanimously recommended that a Central legislation for agricultural workers is a must. What has the Government done? Now the Rajiv Government is boasting that they are doing so many things for the downtrodden. But what the Government has done is that they have abandoned the Standing Committee for Unorganised Labour. They are not prepared to implement this legislation. Again, you see, the dean of the national labour institute, Dr. Pai, he has conducted an inquiry on agricultural labourers and he has also stated that sufficient material is before the Government for bringing forward a legislation for agricultural workers. Even then the Government has not taken any steps. From the Parliament itself, under the Chairmanship of Shri Gurudas Gupta a parliamentary sub-committee was appointed and that sub-committee also submitted a report, explaining the condition of the agricultural workers. That committee also unanimously submitted a report that Central legislation is a must. Everybody knows the INTUC leader, Mr. Bhagwati. Under the leadership of Mr. Bhagwati a committee has been appointed and the Bhagwati Committee also submitted a report that legislation is a must. Sir, these are the facts. But when these facts are before the House, before the Parliament and before the Government, what is the Government doing? Now they have appointed another commission on rural labour. For what purpose? To understand what things? I do not know. So, in this connection, I wish to tell that enough material is before the Government. Nobody can deny the need of giving minimum wages, fixing the service conditions of agricultural workers etc. Nobody can deny. There is no difference of opinion in these things also. If there is no difference of opinion in these things, why is the Central Government hesitating to bring forward a Central legislation for agricultural workers? That is what I want to know. Because, it is on record. You see the document prepared for the Eighth Plan itself. Where is the stress? The stress is not for taking our land and distributing it. There is a very clear point in that. Because they do not want to offend the landlords. They do not want to offend the rich persons. They will talk of the downtrodden people, amelioration of their condition etc. They will talk but they do not want to offend the vested interests, the landlords, the big monopoly capitalists and also the capitalist cultivatos. That is the reason. So, if the Government is interested, they can bring forward legislation without

[Shri P.K. Kunjachen]

any difficulty and that is what I want to bring to the notice of the Government.

Sir, another point is regarding pensions. Do the agricultural workers deserve pension? Are they performing their work which is helpful to the nation? It is a national question. Agricultural workers question is a national question. They are cultivating the land. They are bringing forth the yield. They are giving us agricultural produce by their labours. We people live on that. Otherwise what will be the fate of the country and when they retire there is no safety for them. They cannot do any work. There is no safety for them. That is why we have demanded that agricultural workers should be given pension. In Kerala, the Agricultural Workers Act has been passed. This Act has been appreciated by every State. This has been appreciated even by the Central Government. As per this Act, every agricultural worker who attains the age of 60 would be given Rs. 45/- per month as pension. This has been increased now. When the present Government came to power, they increased this amount. Now, every agricultural worker who attains the age of 60 would get Rs. 60/- per month as pension. I would like to ask the Congress(I) people, why is not pension being given to agricultural workers in the Congress (I)—ruled States. What is hindering them? Why can't you give pension to agricultural workers? What is the difficulty? When Kerala can give pension to its agricultural workers at the rate of Rs. 60/- per month why can't U. P. or Bihar or any other Congress(I)—ruled State give pension to their agricultural workers? A Bill was brought forward in Tripura. Before it could be enacted, the Government there was thrown out of power. In West Bengal also, they are bringing forward a Bill; if my understanding is correct. I would like to know why the other States are not willing to enact such a legislation.

Similarly, health protection for the agricultural workers is a major thing. Not only for agricultural workers. I am not talking aboual the agricultural workers alone. We have rural labour and the downtrodden, in particular. Other workers are also there. They are denied even the minimum wage. Various categories of workers are there in our country. Unless and until there is a legislation to give them protection, their condition cannot be improved. As I said, they should be provided health facilities. At present, no health facilities are there for these people.

The service conditions and other things have been mentioned in this Resolution. I do not want to elaborate on the points mentioned in the Resolution. I only want to suggest that the Government should take steps to see that a Central legislation is brought forward conferring on the agricultural workers minimum wages. This legislation should also provide for pension and provident fund and an effective implementation machinery. In Kerala, we are going to bring forward a legislation in regard to provident fund also for agricultural workers. In the original Act, there was a provision but it has been found that it is difficult to implement it. Now, we are going to convert it into a welfare fund. The conception is, at the beginning, they will go to school and take up their studies. Then, when they are able to work, they will work in the field except who go for other jobs. Then, when they attain the age of 60, they will get something in their hands and, thereafter, they will get pension. The point is, there should be security in their life. This is the conception. Therefore, the Government should consider this. I hope the mover of the Resolution will accept my suggestions as well as

my amendment. I would request the Government to accept this Resolution and, on the basis of that, action should be taken. Thank you.

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, आपने प्रसिद्ध, सरकारी कर्मचारियों के उत्तर प्रदेश के नेता और इस सदन के माननीय सदस्य, हमारे कांग्रेस संसदीय पार्टी के महासचिव, मजदूरों में जिन्होंने अपनी जिन्दगी बिताई है और जो सरस भी हैं कवि के रूप में, श्री पशुपति नाथ सुकुल द्वारा 28 जुलाई, 1989 को उपस्थित किए गए संकल्प पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है इसके लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। जब से आप उपसभापति के आसन पर बैठे हैं, यह पहला अवसर है, जब मैं बोलने के लिए खडा हूं। अपने साथियों में से नई पीढी के नए कार्यकर्ता के रूप में आपकी गणना संसद के पटल पर और पूरे तमिलनाडू में जिस रूप में उसके प्रति प्रणाम करते हुए मैं विश्वास करता हूं कि आगे और भी—इस पद पर तो आप हैं ही—और भी मंगलमय पदों की शोभा बढाए। मैं आपके उप सभाध्यक्षता में अपने विचार प्रकट करने के लिए खडा हुआ हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Thank you for your compliments.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय सुकुल जी ने जो कुछ कहा है जब तक उसकी आवृत्ति न कर लूं आगे कुछ कहना मूल से कट जाना होगा। इसलिए सुकुल जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें उन्होंने कहा है—

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यद्यपि सरकार ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मद्देनजर रखते हुए श्रम कल्याण संबंधी अनेक कानून बनाए हैं, तथापि, श्रमिक वर्ग की दशा में, चाहे वह संगठित क्षेत्र का हो या असंगठित क्षेत्र का, बदलते हुए समय के साथ-साथ अधिक सुधार नहीं हुआ है, इस सभा की यह राय है कि सरकार को अपने सभी कर्मकारों को जीवन निर्वाह के लिए कुछ न कुछ मजदूरी दिलाने हेतु अपनी मजदूरी नीति को सुव्यवस्थित बनाना चाहिए, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 43 में निर्दिष्ट है और उसके अनुपालन में एक व्यापक राष्ट्रीय मजदूरी नीति भी बनानी चाहिए, ताकि—

1. मूल मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ा जा सके,

2. यह निश्चित करने के लिए व्यवस्था की जा सके कि, विद्यमान कानूनों के अंतर्गत जहां कहीं भी न्यूनतम मजदूरी नियत की गई है, वहां उनमें समय समय पर नियमित रूप से संशोधन किया जा सके,

3. मूल्यों में वृद्धि होने पर, सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को देय पेंशन उपदान इत्यादि में निर्वाह-खर्च में वृद्धि के अनुपात में वृद्धि की जा सके,

4. न्यूनतम मजदूरियों में विद्यमान क्षेत्रवार असमानता को कम किया जा सके ताकि श्रमिकों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बहिर्गमन पर अंकुश लगाया जा सके,

5. समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत सभी स्तरों पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके,

6. न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण इस तरीके से किया जाए कि आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी की अवधारणा को एक हकीकत बनाया जा सके,

7. सभी कर्मकारों को 8.33 प्रतिशत की न्यूनतम दर पर बोनस दिया जा सके, और

8. महिलाओं को, विशेषतः आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विशेष व्यवस्था की जा सके।"

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, श्रमेव जयते का हमने नारा दिया है । सत्यमेव जयते, श्रमेव जयते हमारे नारे हैं । श्रमेव जयते का अर्थ है जो श्रम करेगा वह सत्य में विश्वास करेगा, जिसे हरामखोरी की आदत लग जायेगी वह कभी न श्रम करेगा, न सत्य में विश्वास करेगा ।

महोदय, यह देश किसानों का देश है, ये देश मजदूरों का देश है, यह देश अपने हाथ से अपना उत्पादन करने वाले उन कोटि कोटि भारतवासियों का देश है, जो रात दिन अपना पसीना एक करके अपने लिए उत्पादन करते हैं । इससे राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सर्वव्यापक धरातल पर सारे विश्व में हमारी प्रतिष्ठा होती है । एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करने में श्रमिक जो उत्पादन करता है या जो किसान या मजदूर अपने श्रम के माध्यम से अन्नोत्पादन करता है वे सब एकरूपता के अधिकारी हैं और एकरूपता की कमी के कारण हमारे ज्ञान, कर्म और हमारी इच्छा का समन्वय नहीं हो रहा है । जब तक हमारे ज्ञान, कर्म और इच्छा शक्ति का समन्वयन नहीं होगा तब तक हमारे संकल्पों की श्रीसिद्धि नही हो सकती है ।

महोदय, हम समाजवादी देश है, हम समाजवादी रास्ते में विश्वास करते हैं । समाज को अपनी प्रतिभा के अनुरूप सभी को विकास का मौका देना चाहिए और इसके लिए एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति बनाना बहुत ही जरूरी है । हमको स्वतंत्र हुए 47 साल वर्ष हो रहे हैं । इन वर्षों में हमने केन्द्र की जो लेबर मिनिस्ट्री है या जो सरकार की लेबर मिनिस्ट्री है, जो श्रमिक विभाग है, उनमें एकरूपता की कमी के कारण बड़ी भारी विडंबना सारे देश में व्याप्त है ।

भारतीय संविधान सहित हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में भी एक व्यापक राष्ट्रीय मजदूरी नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में और कामगारों को उनको वैध हक दिलाये जाने पर जोर दिया गया है । आजादी हासिल होने के बाद अब तक हम राष्ट्रीय मजदूरी नीति नहीं बना पाये हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत जैसे महान देश में एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति तैयार करना आसान काम नहीं है क्योंकि यहां करोड़ों लोग असंगठित क्षेत्र में हैं । सातवीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि श्रम नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू एक उचित मजदूरी नीति तय करना है क्योंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूरी होनी अभी बाकी है । अतः सुझाव आवश्यक है । मजदूरी नीति का मूल उद्देश्य क्या है ? पहला तो उत्पादकता में वृद्धि होनी चाहिए । उत्पादकता में वृद्धि के मुताबिक वास्तविक आय के स्तरों में वृद्धि, उत्पादक रोजगार को संरक्षण कुशलता में सुधार, वांछित दिशाओं में सेक्टर सम्बन्धी परिवर्तन और असमानताओं में कमी होनी चाहिए । ऐसा करने से सभी को रोजगार देने में हम मदद दे सकते हैं सारे राष्ट्र को । वर्तमान मजदूरी ढांचा हमारा इस तरह से निर्धारित किया गया है कि सरकारी, सार्वजनिक, गैर सरकारी क्षेत्रों के ढांचे बीच और यहां तक कि खुद क्षेत्रों के भीतर ही अनेक असमानताएं विद्यमान हैं । विद्यमानता ही सारी असंगतियों को सारी डिसपेरिटी को, सारे भेदभाव को, सारे असन्तोष को और सारी कुण्ठाओं को मजदूरों की मैं जड़ मानता हूं । जहां तक असंगठित क्षेत्र का सम्बन्ध है उसको अपर्याप्त मजदूरी, असंगत मजदूरी तथा असंगत आय ढांचे का सामना करना पड़ रहा है । ऐसे ऐसे भी उदाहरण इस देश में विशेषतः बिहार में हैं जहां अशिक्षा है, जहां अज्ञानता है वहां शोषण जिस तरह से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का होता है, मैंने बिहार के कुछ जमींदारों की कहानियां पढ़ी हैं, जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। अगर एक आदमी काम करता है उस के घर में उसका बाप, उसका दादा, उसका परदादा और उसका लक्कड़दादा सब काम करते थे । जो दास चला आ रहा है । उस दासता की प्रथा आज भी हम एटोमिक एनर्जी के युग में देख रहे हैं । उसे दास बना कर मुठ्ठीभर अन्न के लिए तरसा कर जिस तरह से शोषण हो रहा है और जिस तरह से उनके परिवार के लोगों को विकास का मौका नहीं दिया जा रहा

है, इतना ही नहीं ऐसे ऐसे जमींदार आततार्इ, आतंकवादी आज भी विद्यमान हैं देश के कोने-कोने में जो असंगठित मजदूरों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। उनका शारीरिक शोषण करते हैं। उनका हर तरह से शोषण करते हैं और यहां तक होता है कि उनकी बहन-बेटियों की इज्जत तक उनके हाथ में नीलाम होती हैं। इस क्षेत्र में असंगठित मजदूरों की न कोई यूनियन है, यूनियन तो बनायी जाती है, यूनियन नेता लोग बनाते हैं, नेता लोग जो यूनियन बनाते हैं उसके माध्यम से मजदूरों का स्वार्थ कम हल होता है और अधिकांश यूनियनों को मैंने देखा है कि नेता लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मालिकों के साथ समझौता कर लेते हैं और चंद खनखनाते सिक्कों पर हजारों मजदूरों की इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा और उसकी समस्त आशाओं पर तुषारापात होता है। उस को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाता है और नेता मालामाल हो जाते हैं। यह सब प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए चाहे वह किसी दल का नेता हो, किसी मजदूर क्षेत्र का हो। ऐसा करता हुआ पाया जाए, चाहे हमारी कम्युनिस्ट पार्टी की यूनियन हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की मजदूर यूनियनें हों, चाहे जनसंघ मजदूर यूनियनें हों या और कोई यूनियन हो उसको नष्ट-भ्रष्ट कर के उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। जो लोग व्यक्तिगत हित में मजदूरों की सामूहिक शक्ति का उपयोग करते हैं उनका नेतृत्व हटा देने के लिए कोई न कोई कानूनी प्रावधान होना चाहिए। यह अति आवश्यक है कि मजदूरी नीति इस प्रकार से निर्देशित की जाए जिससे कामगारों के बीच असन्तोष न बढ़े। भारत जैसे विकासशील देश में विकास श्रमिक वर्ग में बेहतर जीवन स्तर की इच्छा जागृत होती है।

3.00 P.M.

इस देश में एक वास्तविक मजदूरी नीति का होना और भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां आय और धन की असमानताएं तथा मुद्रास्फीति बहुत अधिक है। एक सुसंगत मजदूरी नीति वह होती है जो असमानताओं को दूर करने के साथ साथ अर्थ व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में मजदूरियों और मजदूरी से अलग आयों के बीच एक उचित संतुलन स्थापित रखे। इसका उद्देश्य ऐसा होता है कि असंगठित कामगारों को कम मजदूरी दी जाती है। उसमें सुधार हो। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के साथ साथ मजदूरी नीति रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने में समर्थ होनी चाहिए। सामूहिक सौदेबाजी के औद्योगिक संबंध सुधारने में मदद मिल सकती है। लेकिन वह एक अस्थायी हल है। मजदूरी बोर्ड (वेज बोर्ड) भी श्रमिक समस्याओं का कोई स्थायी हल नहीं है। असंगठित मजदूरों का जो शोषण हो रहा है उसमें सुधार के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। हड़ताल होने और कार्य दिवसों का नुक्सान होने का जिसके कारण उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, एक बड़ा कारण कामगारों के बीच असंतोष का उपजना है जो असंगत मजदूरी ढांचे से पैदा होता है, चाहे फिर कामगार कारखानों में काम करने वाले कामगार हों या बैंकों में काम करने वाले हों अथवा डाक्टरों, सरकारी कर्मचारियों अथवा अध्यापकों आदि जैसे श्वेत पोश कामगार हों। इन सभी बुराइयों का मुख्य कारण अखिल भारतीय स्तर पर एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति तैयार करने में विफलता है। कोई भी वह देश समाजवादी होने का दावा नहीं कर सकता जो कृषि अथवा मजदूरी सुनिश्चित करने में विफल रहता है: देश को एक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करनी चाहिए जो औद्योगिक कामगारों की जरूरी आवश्यकताओं के मूल्यांकन पर आधारित हो, क्योंकि निम्नतम आय वर्ग के होते हैं और उनकी आवश्यकताओं के मूल्यांकन पर आधारित सीमित होती हैं। जब वे अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो आप जानते हैं कि भूखा इंसान हैवान बन जाता है और भूखे भजन न होय गोपाला। भूखे पेट मजदूरी करने वाले तत्व इस देश में चाहे वे सरकारी तत्व हों, चाहे औद्योगिक घरानों के बड़े बड़े लोग हों, चाहे जमींदार हो, मजदूरों को अभी भी बन्नी दी जाती है, उनको थोड़ा सा अनाज दे दिया जाता है जिससे वे दोनों समय का खाना भी नहीं खा सकते हैं, इस प्रकार से जो मजदूरों का

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

शोषण करने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध कानून में प्रावधान किया जाना चाहिए और उनको कठोर से कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए। यह सिर्फ कागज पर ही न हो बल्कि इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाय। न्यूनतम मजदूरी आवश्यकता पर आधारित और बिना किसी और विचार के श्रमिक की न्यूनतम मानवीय आवश्यताओं को सुनिश्चित करने वाली होनी चाहिए। न्यूनतम मजदूरी तक का भी भुगतान न करना स्पष्टत: श्रमिक का शोषण ही है। न केवल असंगठित मजदूरों को कम मजदूरी मिलती है अपितु पुरुष और महिला कामगारों के बीच भी मजदूरी में अन्तर है विशेषकर असंगठित क्षेत्र में श्रमिक वर्ग की बहुत अधिक वृद्धि होने से श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति काफी कम हो गई है। अत: नियोजक कामगारों को बहुत ही कम मजदूरी और यहां तक कि न्यूनतम मजदूरी से भी कम देने की स्थिति में हैं। अत: सरकार को कामगारों के न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

इसमें अतिरिक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के अनुरूप मूल मजदूरी में संशोधन करने में देरी नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के बारे में समय समय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और उसको बढ़ाने में देरी नहीं करनी चाहिए। इसमें विलम्ब घातक होगा क्योंकि इसका संबंध हजारों, लाखों प्राणियों से है। सरकार के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को देय पेंशन, उपादान जैसी सुविधाओं को भी जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि के अनुपात में बढ़ा दिया जाना चाहिए। सरकार को सावधानी से विचार करके एक ही प्रकार का कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों में समानता लाने हेतु काम करना चाहिए। इस क्षेत्र में हमारे केन्द्रीय सरकार – कर्मचारियों का जो वेतन है उसके समान ही उत्तर प्रदेश सरकार ने और अभी बिहार सरकार ने और अन्य प्रान्तों ने दिया है और जहां यह नहीं दिया जा रहा है वहां भी केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों में भेद नहीं होना चाहिए।

जहां तक संगठित क्षेत्र का संबंध है, वहां पर बोनस का भुगतान सुनिश्चित है। लेकिन इसका लाभ इस क्षेत्र के थोड़े बहुत श्रमिकों को मिल पाता है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर की उपेक्षा हो रही है। इसलिये इस संबंध में दीर्घकालीन समाधान ढूंढा जाना चाहिये और असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिये बोनस का भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिये। लगभग 15 वर्ष पहले योजना आयोग ने एस० चक्रवर्ती की अध्यक्षता में मजदूर नीति के संबंध में एक समिति का गठन किया था लेकिन इस समिति का प्रतिवेदन आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। जब समितियों को हम बनाते हैं, उनसे सिफारिशें लेते हैं तो फिर उसको कोल्ड स्टोरेज में बंद कर देना, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देना, उसको आलमारियों में बंद करके दीमक लगने के लिये रखना बहुत ही अनुचित है और इसे जनता को धोखा देना मैं मानता हूं। अगर कोई कमीशन बैठता है और उसकी रेकमडेशंस का इमिडियेट इम्पलीमेंटेशन नहीं होता है तो कमीशन बिठाना बंद हो। इसके साथ जो कंडीशन रखी जाय, उसके साथ जो शर्त रखी जाय, यह कमीशन तभी बिठाया जाय, मजदूर के चिंतन के क्षेत्र में जब सरकार उसके इम्पलीमेंटेशन का वायदा करे। तभी कोई कमीशन बिठाया जाय अन्यथा कमीशन बिठाने से कोई फायदा नहीं होगा।

अब समय आ गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरी के ढांचे का जो संकल्प किया है उसकी पूरी तरह से जांच-पड़ताल हो, उसकी संवीक्षा की जाय ताकि श्रमिकों का शोषण समाप्त हो सके तथा उत्पादन बढ़ाने में उन्हें उत्साहित किया जा सके। औद्योगिक संबंध में शांत और सौहृर्द को सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में अधिकतम योगदान मजदूरों का लिया जाय। मान्यवर, महोदय, देश में जापान का उदाहरण रखा जाता है। मजदूर जब वहां हड़ताल करते हैं

तो अपने हाथों पर काली पट्टी बांध लेते हैं और जितना उत्पादन वे रोज करते हैं तो उस वक्त वे उससे बढ़कर उत्पादन देते हैं। एक मेरा देश है और पिछड़े हुए जितने भी स्वतंत्र देश हैं सब जगह राजनैतिक पार्टियों के लोग अपने क्षणिक लाभ के लिये, अपने वोट बटोरने के लिये गरीब, निरक्षर और अनपढ़ मजदूरों को वे दबाते हैं और इस तरह से दबाते हैं जिससे वह उत्पादन कम करता है। किसी भी राष्ट्र के कर्णधार-जनसेवक जो हैं वे जनता के प्रतिनिधि होते हैं और ये जन-प्रतिनिधि नेता के रूप में लेबर फील्ड में काम करते हैं। चाहे वे किसी भी दल के हों, किसी भी प्रांत के हों, किसी भी समुदाय से वे संबंध रखते हों, किसी भी मजदूर यूनियन के वे पदाधिकारी हों, मैं इस मंच के माध्यम से, इस सर्वोच्च सदन के माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि उत्पादन को हानि पहुंचाने वाले जो भी कार्य मजदूरों की ओर से हों उनको डिसकरेज करें। अगर देश की उत्पादन की क्षमता, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो और चाहे टेक्नोलाजी के क्षेत्र में हो, चाहे फलों के उत्पादन के क्षेत्र में हो, चाहे नई जनरेशन टीचर जो बना रहे हैं, उस क्षेत्र में हो, जो आंदोलन कराकर इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, ऐसे जो तत्व हैं, उन पर नियंत्रण रखा जाय।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं कि आपका हाथ बराबर घंटी पर जा रहा है। यह प्राइवेट मेंबर बिल है। मुझे थोड़ा सा और समय दिया जाय।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : There are more than six, seven Member more to speak.

DR. RATNAKAR PANDEY : Ten minutes more, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Not ten minutes.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : औद्योगिकरण के प्रारम्भिक काल में भारत में मजदूरी की दरें प्रायः आवश्यकता और पूर्ति के सिद्धान्तों द्वारा निर्धारित होती थीं। किन्तु आगे चलकर ग्रामीण अर्थ व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और दस्तकारों तथा खेतिहर कामगारों के बड़ी संख्या में बेरोजगार हो जाने से काम धंधे की खोज में व्यस्त श्रमिकों की संख्या में बाढ़ सी आ गई। ये लोग प्रायः अनसीखे कामगार थे और उद्योगों में काम टटोलने के लिए घूमते रहते थे। इस प्रकार श्रमिक की पूर्ति आवश्यकता से बहुत अधिक हो गयी है। उस समय कामगारों की आवाज उठाने वाला कोई श्रम आन्दोलन न था, जो उनको उचित मजदूरी दिला सकता। अतः मजदूरी की दरें अलग हो गई। धीरे-धीरे कामगारों में श्रमिक संगठन की भावना पैदा हो गई और वे अपने जीवन की बिगड़ी हुई हालत और काम की बुरी अवस्थाओं पर झींक उठे। अब वे जाग पड़े और अधिक मजदूरी और बेहतर कार्य व्यवस्थाओं के लिए हाथ पांव मारने लगे। किन्तु फिर भी किसी पक्ष या सरकार के कानों पर प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक इसकी जूं तक न रेंगी कि उसे मजदूरी के नियमन का प्रयास करना चाहिये। लेकिन लगभग महासमर के आगमन तक औद्योगिक संबंधों में सरकारों का हाथ ही ऊंचा दिखता रहा। सरकारों के इस क्षेत्र में प्रबंध नीति यानि जो कुछ किया है वह नियंत्रित नहीं है। जब 1937 में प्रांतों में लोकप्रिय सरकारें बनने लगीं, तब औद्योगिक विवादों में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ता गया। युद्धकाल में और उसके बाद विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार ने मजदूरी संबंधी झगड़ों के निपटारे के लिए औद्योगिक न्यायालय और पंच नियुक्त किये। इनके निर्णयों से देश के विभिन्न उद्योगों के कितने ही मजदूरों की मजदूरी की दरें तय होती गई।

औद्योगिक विराम संधि- 1947 में इस देश में एक अनसुनी औद्योगिक अशान्ति देखने में आयी इससे 166 लाख श्रमिक दिनों की हानि हुई जो 1939 के बाद की सब से बड़ी संख्या है। उत्पादन में चारों ओर कमी देखने में आती थी और "उत्पादन करो या बरबाद हो जाओ" के नारे सुनाई देते थे। दिसंबर 1947 में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों

[डा० रत्नाकर पाण्डे]

मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों का एक त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया जिसके सामने विचारने का विषय यह था कि उक्त स्थिति का क्या उपचार किया जाए। सम्मेलन ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकार किया जिसे औद्योगिक विराम प्रस्ताव कहते हैं। इस प्रस्ताव का उद्देश्य था कि वे उपाय काम में लाये जाएं जिनसे श्रमिकों और मालिकों के आपसी संबंध सुधरने लगे जो उस समय दिन-पर-दिन बिगड़ता जा रहा था और इस प्रकार उत्पादन बढ़ सके। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, देश के अर्थतंत्र के लिए उत्पादन बढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह बिना श्रमिकों और प्रबन्धकों के आपसी सहयोग से सम्भव नहीं है। औद्योगिक विराम प्रस्ताव का अनुशीलन करते हुए उचित मजदूरी समिति और लाभ बंटवारा बोनस समिति केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित की गई। इन समितियों में त्रिदलीय प्रतिनिधि थे।

उचित मजदूरी समिति—उचित मजदूरी समिति ने अपने प्रतिवेदन में न्यूनतम मजदूरी और निर्वाह मजदूरी की व्याख्या की थी। उसमें लिखा गया कि वर्तमान राष्ट्रीय आय को देखते हुए इस समय निर्वाह मजदूरी निश्चित करना संभव नहीं है। इसलिए विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रख कर न्यूनतम मजदूरी और निर्वाह मजदूरी के बीच में उचित मजदूरी निश्चित कर देनी चाहिये। इन परिस्थितियों में सब से महत्वपूर्ण परिस्थिति किसी कारखाने की मजदूरी देने की क्षमता थी। केवल उचित कार्यभार के लिए ही उचित मजदूरी देना ठीक था। किसी उद्योग में कितनी मजदूरी देने की क्षमता है यह प्रत्येक प्रदेश में उसके विशेष ट्रिब्यूनल द्वारा ही निश्चित होनी चाहिये। देने की क्षमता का वाक्यांश स्वयं अस्पष्ट है। इसकी परिभाषा लचर है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि कोई उद्योग मजदूरी पर उतना ही व्यय करेगा जिससे उद्योग का उत्पादन अच्छी तरह से चालू रहे और जहां संभव हो बढ़ जाए तथा वर्तमान मजदूर संख्या को रोजगार मिलता रहे। इसलिए समिति का यह विचार कदापि नहीं था कि मजदूरी की दर इतनी ऊंची होनी चाहिये जिससे एक बड़े पैमाने पर मजदूरों की छटनी करनी पड़े और उससे बेरोजगारी को बढ़ावा मिले जहां समान कार्य के लिए समान मजदूरी देने का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है, उक्त प्रतिवेदन में कहा गया था कि कामगार की आवश्यकताओं के आधार पर मजदूरी दर निर्धारित की गई है इसलिए कामगार की तुलना में कामगारिन का परिवार छोटा मानना चाहिये।

उचित मजदूरी विधेयक—उचित मजदूरी समिति के प्रतिवेदन के आधार पर 1950 में केन्द्रीय सरकार ने संसद में उचित मजदूरी विधेयक प्रस्तुत किया। बीच में चालू संसद भंग होने के कारण इस विधेयक का काल समाप्त हो गया और तब से इस संबंध में अभी तक कोई दूसरा कदम नहीं उठाया गया है। मैं माननीय दुबे जो भारत सरकार के श्रम मंत्री हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे इस संबंध में सोचें और अब इस पर कोई कार्यवाही की जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम—संसद में उचित मजदूरी विधेयक प्रस्तुत किये जाने से पहले न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 पास हो गया था। इस अधिनियम ने केन्द्रीय और राज्यों की सरकारों को कुछ उद्योगों के कामगारों की मजदूरी की न्यूनतम दरें निश्चित करने का अधिकार दे दिया गया। यह उद्योग थे ऊनी गलीचे बनाने तथा शाल-बनने वाले संस्थान, चावल आटा (**व्यवधान**) मैं सब्जेक्ट पर ही बोल रहा हूं माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य मुझे डिस्टर्ब न करें। मैं यह कह रहा था कि चावल, आटा, अथवा दाल मिलें, तंबाकू निर्माता संस्थान, चाय उद्यान, तेल मिलें, स्थानीय प्राधिकारियों के अंतर्गत रोजगार धंधे, सड़क निर्माण अथवा भवन रचना, पत्थर की गिट्टी तोड़ने वाले तथा लाख निर्माता, अभ्रक का काम, सार्वजनिक मोटर परिवहन, चमड़ा कमाने तथा चमड़ा का काम करने वाले संस्थान

तथा कृषि । (समय की घंटी) इस अधिनियम ने सरकार को (व्यवधान)

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : क्या इस हिसाब से हम को भी समय मिलेगा। (व्यवधान)

डा० रत्नाकर पाण्डेय : सरकार को यह समुचित अधिकार दे रखा है कि वह जिस उद्योग में कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी निश्चित करना ठीक समझे वहां ऐसा कर सकती है। इस अधिनियम में मजदूरी निश्चित करने तथा मजदूरी में संशोधन करने के लिए समुचित सरकार की सहायता को समितियां, उपसमितियां, सलाहकार समितियां, सलाहकार उपसमितियां, सलाहकार मण्डल तथा एक केन्द्रीय सलाहकार नियुक्त करने की व्यवस्था है (व्यवधान) (समय की घंटी) मैं समाप्त कर रहा हूं। असंगठित क्षत्र के मजदूरों की तादाद संगठित क्षेत्र के मजदूरों से कई गुनी अधिक है। संगठित क्षेत्र के मजदूरों की समस्यायें और उनकी लडाई तो बराबर चालू रहती है, पर असंगठित मजदूरों की पीडा प्राय: अखबार के कालमों तक नहीं पहुंच पाती है। इसका मुख्य कारण असंगठित मजदूरों का असंगठित होना है। काम करते समय मजदूर की मौत हो जाए, कोई दर्दनाक हादसा हो जाए तो उसकी खबर तक नहीं छपती है। इन मजदूरों के काम के घंटे तय नहीं हैं और उनसे जिस तरह का कठोर काम लिया जाता है वह काम पशु भी नहीं कर सकते हैं। यह श्रम का मखौल है और इसे मैं श्रम के साथ विश्वासघात मानता हूं। मानवीय गरिमा से गिरा हुआ यह काम है। सच्चाई यह है कि असंगठित मजदूरों के शोषण को काबू में करने वाले कायदे कानून हैं ही नहीं और अगर हैं भी तो उन्हें लागू करने की शासन में इच्छा शक्ति की कमी दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए खेतिहर मजदूरों के लिए महज एक कानून है न्यूनतम मजदूरी का पर शायद ही वह कहीं लागू होता हो। न्यूनतम मजदूरी तय करने का आधार माना गया है "एक व्यक्ति के लिए जरूरी कैलोरोज और ऊर्जा" परन्तु क्या ... (व्यवधान) 12-13 रुपए में उतनी कलोरीज उसे मिल सकती हैं जिससे वह स्वस्थ रह सके। मजदूर परिवार कहां जाएगा ? उसके बच्चे कहां शिक्षा प्राप्त करेंगे। उसको पहनने को वस्त्र नहीं होते। एक एक गुदड़ी में चार चार, पांच पांच बच्चे अपनी मां की गोद में चिपटकर सोते हैं। न्यूनतम वेतन निर्धारित हैं। कानून के तहत जिस किसी असंगठित अनुसूचित उद्योग में एक हजार या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत हों तो वेतन अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित उक्त उद्योगों के लिए राज्य सरकार न्यूनतम वेतन निर्धारित कर सकती है ... (व्यवधान) राम अवधेश जी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूं। मैं काम की बात कर रहा हूं। मैं उपसभाध्यक्ष जी के आदेश का पालन कर रहा हूं। (*Time bell rings*). I am concluding, Sir, in two minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : You take two minutes and finish.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : राजस्थान में मौजूदा स्थिति में 39 अनुसूचित उद्योग के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम की 13वीं अनुसूची में सम्मिलित करके राज्य की सरकार ने उनका न्यूनतम वेतन निर्धारित किया है। जनवरी, 1987 से इस प्रदेश ने अनूसूचित उद्योगों के लिए न्यूनतम वेतन 14 रुपये प्रति दिन निर्धारित किया है। इस राशि में राज्य सरकार के आदेशानुसार निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और अन्य सुविधायें जो रोकड मूल्य के रूप में हों सम्मिलित मानी जाती हैं। अप्रेल, 1987 में दिल्ली के कार्यकारी पार्षद ने घोषणा की कि दिल्ली प्रशासन ने न्यूनतम मजदूरी की दरों में 18 प्रतिशत की वृद्धि की है और 25.7 रुपए प्रति दिन प्रत्येक मजदूर को मिलेगा चाहे वह डेली वेजिज पर हो। इस तरह से जो दिल्ली में तय हुआ है वह सर्वत्र तय हो।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे एक माननीय सदस्य बहुत व्याकुल हैं। बाहर व्याकुल तो मैंने देखा था लेकिन

[श्री रत्नाकर पाण्डेय]

राज्य सभा के भीतर व्याकुलता की पीड़ा से छटपटाते हुए मैंने किसी को नहीं देखा था जबकि मैं सब्जेक्ट पर बात कर रहा हूं। अंत करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जहां मजदूरों का पसीना बहता है वहां राष्ट्र का उत्पादन बढ़ता है। मजदूरों के बच्चों और सम्पन्न घरों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में, दवादारू देने के क्षेत्र में और उन्हें अपनी प्रतिभा के अनुरूप विकास करने में सरकार की ओर से कहीं भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए और बाल मजदूरी प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहिए तथा न्यूनतम मजदूरी का एक मानदंड इस देश में होना चाहिए, चाहे वह खेत में काम करने वाला हो, चाहे कुली हो, चाहे गिट्टी तोड़ने वाला हो, चाहे भैंस चराने वाला हो, चाहे मिल मजदूर हो सबमें अगर एकरूपता निर्धारित नहीं होती है तो इस देश में समाजवादी समाज की संरचना का जो उद्देश्य महात्मा गांधी का था वह पूरा नहीं होगा। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, खानपान, निवास आदि की अनिवार्य आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति हो और उस अनुरूप एक समान वेतन राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी नीति के तहत दिया जाना चाहिए।

कबीर ने एक दोहा कहा था राम अवधेश जी विशेष ध्यान से सुनेंगे--

"मुए खाल की सांस सो,
सार भस्म हुइ जाय,
निर्बल को न सताइए,
जाको मोटी हाय"

निर्बल कमजोर आदमी को सताओ मत, उसकी आह जब पड़ती है तो बड़ी मोटी आह होती है और उन्होंने उदाहरण दिया, धौंकनी से जब लोहे को हवा भरकर जलाया जाता है तो लोहा जल जाता है धौंकनी की हवा से। तो निर्बल व्यक्ति ही मजदूर होता है। तो निर्बल व्यक्ति ही असंगठित मजदूर होता है, निर्बल व्यक्ति ही अपने खून-पसीने को एक कर अपने बच्चों के लिए शाम को आटा, प्याज, नमक खरीद करके मिर्च के साथ रोटी खाता है, ऐसे लोगों की संख्या इस देश में कोटि-कोटि है और उनके उत्थान के लिए मजदूरों के क्षेत्र में जो विषमता है और जो नेतागिरी के नाम पर बड़े-बड़े पूंजीपति, बहुत बड़े-बड़े संस्थानों से मिल कर के किसी भी दल के लोग लेते हैं, मैं दुबे जी से प्रार्थना करूंगा, आपके माध्यम से, कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही की जाए और उन्हें मजदूर आंदोलन के क्षेत्र में, मजदूरों का नेतृत्व करने के क्षेत्र से बाहर किया जाए और जो लोग उत्पादन में बाधक बनते हैं, वे राष्ट्रद्रोही हैं और उत्पादकता अगर बढ़ती है--मैं तो यहां तक मानने के लिए तैयार हूं कि जो प्राइवेट कल-कारखाने हैं, जिस जमीन पर किसान संगठित रूप से खेती करता है, उसमें उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए।

अगर समाजवाद आप लाते हैं, तो प्रत्येक मजदूर की, जो संस्थान, उद्योग है, उसमें उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, इसका पूंजीनिवेश होना चाहिए। तब जाकर इस देश में समाजवाद आएगा।

मैं विश्वास करता हूं कि सुकुल जी का यह जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और इसका समर्थन करने के पहले अपने माननीय बेकल उत्साही जी, जो बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं जवानी के दिनों में, उनकी मजदूर शीर्षक कविता पढ़ कर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा।

खेत से कारखानों के बहरूप तक,
शहर की छांव से गांव की धूप तक,
रोशनी किस दम से है, गोदामों खलियानों तक
रेल, शिप और ट्रकों, विमानों तलक,
सब के सब हैं रवां,
देश से दूसरे देश का ये सफर,
किसकी मजबूत बाजू की तदबीर है,
किसके हाथों में मेहनत की तकदीर है,
एक मजदूर की जिन्दगी है मगर,
सब किताबों में धनवान का नाम है,
सुबह जिनकी हंसी और जवां शाम है,
दुनिया प्यासी है, उनका भरा जाम है।
उम्र का उत्पादकों के सिवा कुछ नहीं,

चाहे मेहनत को बीमा।रयां चूस लें,
चाहे पी जायें सारा मशीनें, लहू
चाहे इन्सानियत रोज लुटती रहे,
धर्म दाता हैं ये,
देश निर्माण के विधाता हैं ये,
एक मजदूर अब तक गरीबी में है,
इसके बच्चे अंधेरे में बीमार हैं,
आखिर इनको उठाएगा कौन ?
इनको अपने गले से लगाएगा कौन ?
आज सरकार मजदूर के श्रम की कोई
कीमत तो दे ।

यहां आवश्यकता है, अगर हमने नारा दिया--श्रमेव जयते, सत्यमेव जयते तो माननीय पं० पशुपति नाथ सुकुल जी का जो प्रस्ताव है, उस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करके ऐसे उपादेय निर्धारित करने चाहिएं जिससे असंगठित या संगठित श्रमिक हों, सब को अपना हक मिल सके ।

इन्हीं शब्दों के साथ, आपने इतने विस्तार से मुझे बोलने का मौका दिया, मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और जो बिनु काज दाहिने, बायें, और निरर्थक व्यवधान डालते हैं, उनकी निंदा न करके, उनकी भी स्तुति करता हूं । मेरा आशय राम अवधेश सिंह जी से है ।

कुमारी सईदा खातून (मध्य प्रदेश) : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो इन्होंने बात कही है, मैं मजदूरी पर सिर्फ दो लाइन का शेर पेश करना चाहती हूं ।

वह ताजमहल जिसकी तमसील नहीं मिलती,
उसको भी बनाया है मजदूर के हाथों ने ।

SHRI CHITTA BASU (West Bengal) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I agree with the principle on the basis of which my esteemed colleague Shri P. N. Sukul has moved the resolution. I believe and I am really confident that he means what he has proposed. I am confident he is not led by cheap emotional gimmicks and means what he has proposed. He wants in his resolution a national wage policy. Our Constitution in the Directive Principles has also mentioned about a living wage. And naturally it should be the endeavour of the Government to frame a policy which ensures a living wage for all wage-earners. But Mr. Vice-Chairman, I think wage is related to those who are in employment, unless you are in employment the question of wage does not arise. Therefore the question a national wage policy is linked up with employment a national employment policy. Unless we have got a well-defined comprehensive, well-integrated national employment policy the question does not arise immediately of a national wage policy. As a matter of fact I am for a national wage policy. But while framing a national wage policy it is also necessary to have a national employment policy. Sir, the resolution really relates to those who are in employment either in the Union Government or in State Governments or in the public sector or in the private sector. This resolution relates to them and—I think I may not commit a mistake—their number would not exceed six to seven crores all over the country in the organised sector, in the government sector, in the public sector industries of our country. But quite a larger number is outside the scope of the resolution. Even in the industrial sector, organised sector—I think my esteemed colleague is aware of the fact—more than 1,60,000 industrial units, big, medium and small, are closed. And this has led to the increase of unemployment by about a million. Those who had had employment earlier have been deprived of their jobs during this period because of closures, lock-outs, etc. And their number, as I have mentioned earlier, exceeds 1,60,000 industrial units. Now, I have got one figure to quote. According to a reply given in this House, the total number of persons registered in the employment exchanges in the country, as on 31

[Shri Chitta Basu]

December last year, comes to 303.05 lakhs. That is, more than three crores. And I have got another set of figures to suggest that there are more than three crores who are educated unemployed. If I take the view that only the educated unemployed have got their names registered in the employment exchanges, then the two figures more or less tally. But here whatever may be the exact number of job seekers registered in employment exchanges, there is a large number of educated unemployed in our country, apart from the fact that there are more than 6 crore agricultural workers all over the country who are unemployed and underemployed. Let us for the time being devote our attention to educated unemployed. So far as matriculates are concerned, there are 97 lakh matriculates unemployed; higher secondary 42 lakhs, graduates 25 lakhs, postgraduates 38 lakhs. There are 27,481 medical graduates who are unemployed and registered in employment exchanges. There are technical graduates whose number is 92,664 of whom 10,776 are females. Therefore a large number of educated young men and women who want to earn their wage are not being provided with the opportunity of being employed. In this connection I want to bring to his attention—because he is a learned Member of this House and I know that he is quite well aware of these facts yet—according to the International Labour Organization by the year 2000 AD in Asia out of 632 million young people 290 million will remain unemployed and the largest number will be in India. Therefore if we want to have a wage policy, a national wage policy, can we remain absolutely ignorant, absolutely unconcerned, about the employment position in the country, without being concerned at all with the national employment policy of the Government ? Therefore, please excuse me, it may be a part of the gimmick, of a well-archestrated propaganda campaign just before the election; nothing else. Had there been a serious effort, had it been a product of a comprehensive thought, then I think this kind of proposals would not have come from a distinguished Member belonging to the Treasury Benches. You should also know about the rate of growth of employment in our country. during the last decade the rate of growth of employment in the organised sector was only 2.7%. This is the annual employment potential. And what about the growth rate of registration in employment exchanges ? 12.2%. The rate of growth of registration is 12.2% and the rate of placement or the rate of annual employment growth is 2 2%. Now you can very well understand the magnitude, which I call the alarming magnitude, of the unemployment problem in our country. Again, I want to mention about the role of the private sector and the role of the public sector in the matter of employment. In 1986-87, that is, in one year, employment increased only at the rate of 1.7 per cent. The figure of 2.7 that I mentioned was only the average. This is possible because this was the period of industrial sickness and industrial stagnation. To this the private sector contribution was only of the order of 0.3 per cent and the contribution of the public sector was 1.4 per cent. Therefore, this relates to the policy of the Government very much.

Much has been said about the role of the workers and the trade unions by Mr. Ratnakar Pandey and I do not like to make any comments on what he said. His comments are unwarranted and uncalled for. You should also know what the total number of man-days lost is. The man-days lost due to strikes and lock-outs should be compared in order to have a correct picture. Between 1985 and 1987, the man-days lost due to lock-outs or due to management action was 5.31 crores.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY (Andhra Pradesh) : It was how much ?

SHRI CHITTA BASU : It was 5.31 crores. But the number of man-days lost due to strikes was only 4.43 crores. Therefore, loss of man-days is not primarily due to the workers, strikes, go-slow tactics, etc., etc. about which much has been said by the gentlemen on the other side in accusing terms. As a matter of fact, the number of man-days lost has increased because of the policy pursued by the employer. Here again the question of policy comes in and the Government also comes in and that is why I have moved an amendment to the effect that to give effect to this policy, as mentioned in the Resolution, the Government should suitably re-orient its economic policies.

Some mention has been made from this side about the agricultural workers. I have mentioned that about six crores of agricultural workers of our country are under-employed and unemployed. Their number is more than the total number of employees and workers engaged in the organised industrial sector. What do you say for that ? Do you think that there should be need-based minimum wages for them ? There should be. And, what are the minimum wages fixed by the Governments in the different States ? Somewhere it is eleven rupees and somewhere it is thirteen rupees. It is a subsistence level wage, it is a starvation level wage, because a man can be said to be above the poverty line if he has got an income of more than six thousand rupees a year where, with this level of wages, he cannot get that much. The poverty line is drawn where the income is six thousand rupees. But the statutorily fixed wages, wages fixed by the Government of India and the various State Governments, are much below this level or do not exceed generally this level of eleven rupees or thirteen rupees. These are the statutorily fixed wages ! It has been pointed out by a Committee appointed by the Labour Ministry that there are many States like Bihar and Rajasthan and there are many districts in the country—I do not want to blame anybody—where the daily wages of workers come to five or six or seven rupees or something less than that ! What is the national wage policy towards that ? How do you visualise a national wage policy for these unfortunate millions of our country ? A national wage policy should include their fate also.

Sir, I conclude because it is not necessary for me to deliberate on it further that this Resolution will be a serious one, a meaningful one, purposeful one, if the House accepts amy amendment which reads that this House demands of the Government to reorient the existing economic policies they are pursuing now.

I would, therefore, humbly request the mover of the Resolution that he should give a thought to the spirit of the amendment and accept it in order to prove that it is not his gimmickery, it is not an electoral promise, it is not an attempt to divert the attention of the people to shelter the Government against the growing wrath of the people.

I, therefore, expect that the mover will accept my amendment.

Thank you.

श्री नरेश सी० पुगलिया (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सम्माननीय सदस्य मुकुल जी ने देश के एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर प्राइवेट मैम्बर्स रेज्यूलूशन लाकर और इस साइड के और उस साइड के सभी सम्माननीय सदस्यों को इसमें अपने सुझाव देने का, इसमें अपने विचार रखने का जो मौका दिया है, तो सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ आज हमारा कामगार मंत्रालय जो संभाल रहे हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता श्री बिंदेश्वरी दूबे

[श्री नरेश सी० पुगलिया]

कामगार मंत्री के रूप में, जिन्होंने अपनी पूरी जिन्दगी कामगारों के क्षेत्र में, उनके लिए जितनी भी सुख-सुविधायें या उनकी जो भी समस्यायें थीं, उन्हें इंटक के माध्यम से पूरा करने के लिए उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले सप्ताह और इस बार जो सम्माननीय सदस्य अपने-अपने विचार रख रहे हैं, उनमें से उपयुक्त विचार उन्हें जो भी लगेंगे, वे उन पर अवश्य विचार करेंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस देश में संगठित और असंगठित दोनों प्रकार के कामगार हैं। संगठित कामगार कम परिमाण में हैं, असंगठित कामगारों की संख्या बहुत ज्यादा है। मेरे पूर्व वक्ता चित्त बसु जी ने, जो कि इस फील्ड के बहुत पुराने जाने-माने नेता हैं, उन्होंने भी कुछ राज्यों में मिनिमम वेज पालिसी निश्चित करते समय आज भी 5 या 7 रुपए किस प्रकार से दिए जाते हैं, उसर पर भी प्रकाश डाला है। हम उम्मीद करते हैं कि मंत्री महोदय इस पर जरूर विचार करेंगे।

आजादी के बाद इस देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है, खासकर के इस देश के शिल्पकार पण्डित जवाहर लाल नेहरू, जिनका यह शताब्दी वर्ष है, उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, केन्द्र सरकार के माध्यम से, इस देश ने हर क्षेत्र में जो तरक्की की है चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या रक्षा का क्षेत्र हो। दूसरी ओर उनके बाद इस देश की प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमति इंदिरा गांधी जी ने उस परम्परा को कायम रखा और आज हमारे युवा प्रधान मंत्री इस देश के विकास के लिए वचनबद्ध हैं। लेकिन यह सब करते समय इस देश को बहुत तेजी से आगे लाने में जिन लोगों ने बहुत योगदान दिया, उस श्रमिक के बारे में सोचने समय हमें दुःख होता है क्योंकि मैं भी कामगार क्षेत्र में काम करने वाला एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मेरा एरिया पूरा लेबर एरिया है, इंडस्ट्रियल बैल्ट है जहां पर इंडस्ट्रीयल वर्कर बड़े पैमाने पर हैं, मैं जब विधायक था तो वहां पर 80 परसेंट कामगारों के एरिया में रहने से मुझे उनकी समस्याओं की जानकारी है; मैं कहना चाहूंगा कि जिन श्रमिकों के माध्यम से सारे देश ने तरक्की की है, उनको क्या प्रतिष्ठा मिल रही है ? जिन श्रमिकों की रक्षा के लिए, उद्धार के लिए श्रम मंत्रालय है, श्रम मंत्रालय में लेबर डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं, स्टेट लेवल पर लेबर कमिश्नर हैं, उन अधिकारियों की या इस मंत्रालय की क्या प्रतिष्ठा है ! यह मंत्रालय कामगारों के प्रति अपना योगदान देने के बजाए उनका जो शोषण करते हैं इस देश के पूंजीपति, यह उनके हाथ में खेलने वाला मंत्रालय है, यह मैं आरोप लगाता हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस देश में करोड़ों मजदूरों की श्रम मंत्रालय से बहुत अपेक्षा थी, लेकिन वह अपेक्षा खंडित होती नजर आ रही है। यदि किसी इंडस्ट्री में यूनियन मजबूत है तो वे नाक दबाकर अपने अधिकार ले सकते हैं, लेकिन जिनके श्रमिक संगठन नहीं हैं, जहां 4—5 यूनियनें मैनेजमेंट ने बनाई हैं, या जो खेतों में काम करने वाले खेतिहर मजदूर हैं, जो असंगठित हैं, जिनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसे लोगों का शोषण पूंजिपतियों के हाथों हो रहा है। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि और बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूं कि श्रम मंत्रालय जो प्रतिष्ठा का मंत्रालय होना चाहिए, मैं दुबे जी के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब श्रम मंत्रालय का भार किसी को दिया जाता है तो लोग सोचते हैं कि कितना गंदा डिपार्टमेंट दिया गया है, लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, आप भी कामगारों में काम करते हैं, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि श्रम की प्रतिष्ठा जब तक हमारे देश में नहीं बढ़ती है, जब तक उनकी समस्या एक्रोस दि टेबल बैठकर नहीं सुलझायेंगे तो उसका परिणाम यह हो रहा है, मैं आपको अपने

इलाके चन्द्रपुर का उदाहरण देना चाहता हूं कि वहां नक्सलाइट एक्टिविटी बढ़ गई है क्योंकि कामगारों का, आदिवासियों का शोषण हुआ है और हम चाहे लोक प्रतिनिधि रूलिंग पार्टी के हों या अपोजिशन के, उनकी समस्यायें सुलझाने में नाकामयाब रहे हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि उनका लोकतंत्र से विश्वास उठ गया है और वे बैलेट की जगह बुलेट पर विश्वास करने लगे हैं, कल की ही घटना है जहां एस० आर० पी० के 9 जवानों को मार दिया गया। इस प्रकार की जो घटनायें हमारे पिछड़े इलाकों में हो रही हैं वह इसीलिए हो रही हैं कि वहां कामगारों का शोषण हो रहा है। वहां पर जो इस प्रकार की टेंडेंसी बढ़ रही है, इसके लिए आप और हम सब जिम्मेदार हैं। जब तक लोकतंत्र में उनकी आवाज सही माने में नहीं सुनते, उनके विकास के लिए कुछ नहीं करते तब तक यह घटनाएं बढ़ने वाली हैं। इसके लिए हमको विचार करना है। साथ ही साथ जो आर्गनाइज्ड लेबर है उसकी सरकार मदद करे या न करे, लेबर डिपार्टमेंट मदद करे या न करे, वे डंडे के बल पर अपनी मांगें मनवा लेते हैं, लेकिन जो असंगठित मजदूर हैं, चाहे वे एग्रिकल्चरल के हों, चाइल्ड लेबर हों, वीमेन लेबर हों उनके लिए केन्द्रीय सरकार ने या राज्य सरकार ने कितने ही वेज बोर्ड बनाए हैं जैसे सीमेंट वेज बोर्ड है, स्टील वेज बोर्ड है, कई कमीशन बने हैं जैसे पत्रकारों के लिए बछावत कमीशन केन्द्र सरकार ने बनाया था, जिन पत्रकारों की कलम में इतनी ताकत होती है कि वे अपने कलम से सरकार को भी हिला सकते हैं, उनकी समस्यायें सुलझाने में इतने वर्ष लग जाते, हैं, जिनकी केन्द्रीय मंत्रियों तक, एम० पी०, से लेकर प्रधान मंत्री तक पहुंच है, जो मिलकर अपनी समस्यायें डायरेक्ट वहां तक पहुंचा सकते हैं, अगर उनको अपनी समस्यायें, अपने वेजेज तय करने में इतना समय लग जाता है तो बेचारे जो गांव में रहते हैं, इंटीरियर गांव में रहते हैं उनकी समस्यायें कौन सुनेगा। इस प्रकार से मैं मंत्री जी से कहूंगा कि बछावत कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद अगर प्रेस के मालिक उस पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं तो मंत्री महोदय इस विषय में भी आपको सोचना होगा।

हमारा स्टील वेज बोर्ड, सीमेंट वेज बोर्ड की कई मीटिंगें होने के बावजूद भी उसमें निर्णय लेने में इतना समय लग जाता है। खुशी की बात है कि कई सालों के बाद कोल वेज बोर्ड डिक्लेयर हुआ है। खासकर जो लोग सीमेंट वेज बोर्ड या स्टील वेज बोर्ड या जिनके लिए गवर्नमेंट ने वेज बोर्ड निश्चित किया है उस वेज बोर्ड का वे लोग पालन नहीं करते और उसके लिए अगर कोई आवाज उठाता है तो कुछ किया जाना चाहिए। मैं उदाहरण देता हूं। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में सीमेंट की कुई मेजर फेक्टरीज हैं। उसमें एल० एंड टी० की भी हैं, बिरला ग्रुप की मानिकगढ़ सीमेंट फैक्टरी है, ए० सी० सी० की भी हैं। लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज वेज बोर्ड का पालन नहीं करतीं हैं क्योंकि मानिकगढ़ सीमेंट फेक्टरी बिरला ग्रुप की है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Please try to conclude because the Minister is to intervene at 4.15.

SHRI NARESH C. PUGLIA: I will take another 10 to 15 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): There are three or four more speakers. Please try to conclude.

श्री नरेश सी० पुगलिया: सीमेंट फेक्टरी के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां चार फेक्टरियों में से तीन फैक्टरी सीमेंट वेज बोर्ड लागू करती हैं लेकिन एक फैक्टरी अगर वेज बोर्ड को लागू नहीं करती और 60 की बजाय 15 देती है और लोक प्रतिनिधि उसके लिए आवाज उठाते हैं और मंत्रालय तक जाते हैं, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार तक जाते हैं तो सीमेंट वेज बोर्ड हमारे अंडर में नहीं आता है। हमारे अंडर में सिर्फ उसके माइन्स आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि यह सैन्ट्रल गवर्नमेंट के जुरिस

[श्री नरेश सी० पुगलिया]

डिक्शन में हैं इस प्रकार से मजदूरों के साथ अन्याय होता है । अगर आपने वेज बोर्ड बनाया है और जो इंडस्ट्री उस वेज बोर्ड का पालन नहीं करती, कमीशन की रिपोर्ट का पालन नहीं करती उस पर केन्द्रीय सरकार, अगर एक्शन नहीं लेती तो उस पर वेज बोर्ड या कमीशन अपाएंट करने का क्या मतलब है ।

आज मेरे दो अनस्टार्ड क्वेशचन थे लेबर मिनिस्ट्री के संबंध में । लेबर मिनिस्ट्री ने दोनों प्रश्नों के बारे में कहा है कि हम इसकी इन्फरमेशन कलैक्ट कर रहे हैं और इन्फरमेशन कलैक्ट करके पटल पर रखेंगे । इस पर अंदाजा लगाइये मैं पूछना चाहता था कि देश में इंस्ट्रियल कोर्ट में और लेबर कोर्ट में कितने केसेज पैंडिंग हैं । राज्वाइज उस का ब्यौरा मांगा था । इसकी खबर सरकार के पास नहीं है । डिपार्टमेंट के पास नहीं है कि कितने केसेज, कितने लाख केसेज लेबर कोर्ट में, इंडस्ट्रियल कोर्ट में पैंडिंग हैं और कितने जजेज की वैकेन्सीज लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रील कोर्ट में पड़ी हैं । इसकी जानकारी भी सरकार के पास नहीं है स्टेट वाइज । कोल वेज बोर्ड के बारे में मैंने प्रश्न पूछा था । कोल वेज बोर्ड के डिक्लेयर होने के बारे में पूछा था इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि हम इसके लिए इन्फरमेंशन कलेक्ट कर रहे हैं । कोल वेज बोर्ड चार दिन पहले डिक्लेयर हो चुका है लेकिन सैन्ट्रल गवर्नमेंट की लेबर मिनिस्ट्री के पास इसकी इन्फारमेशन नहीं है । आज कहती है कि इन्फरमेशन कालेक्ट करके हाउस के समाने रखेगी । इस प्रकार से हमारी लेबर मिनिस्टरी कितनी सीरियसली चल रही है इस पर आप ध्यान दे सकते हैं । मैं पांच मिनट और लूंगा ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, राज्यों ने मिनिमम वेज बोर्ड बनाए हैं । सम्मानीय सदस्य श्री चित्त बसु जी ने कहा है कुछ लोगों को वेज बोर्ड के माध्यम से स्टेट में 5 रुपए, 7 रूपए या 10 रुपए मजदूरी दी जा रही है । महाराष्ट्र स्टेट ने जिसने मजदूरी अच्छी दी है लेकिन आज मंहगाई के हिसाब से यह मजदूरी कम हो गयी है । इसके लिए वेज बोर्ड की नेशनल वेज पालिसी होनी चाहिए और इस पर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हर इंडस्ट्री में कांट्रेक्ट लेबर सिस्टम इतना बढ़ा है कि एक इंडस्ट्री में अगर दो हजार मजदूरों की जगह है तो 12सौ, 15 सौ मजदूर कांट्रेक्ट बेसेज पर रखा गया है और 500 मजदूर परमानेंट करते हैं । कांट्रेक्ट बेसेज पर जो मजदूर रहेंगे उसको 50 रुपए रोजी नहीं मिलेगी। सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने एबोलिशन बोर्ड बनाया है कांट्रेक्ट लेबर सिस्टम के लिए और राज्यों को उसका अधिकार दिया है । मंत्री महोदय इस बात का पता लगायें कि महाराष्ट्र के अन्दर 8 साल पहले मैंने जिस फैक्टरी के बारे में कान्ट्रेक्ट लेबर सिस्टम के एबोलिशन का केस डाला था उसका आज तक कोई फैसला क्यों नहीं हुआ । उसकी दो-दो साल तक मीटिंग नहीं होती । सारे देश में जितने राज्य हैं उसमें कंट्रेक्ट लेबर सिस्टम एबोलिश करने के बारे में केन्द्र सरकार अगवानी करे ।

प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में माननीय सदस्य श्री रत्नाकर पाण्डेय जी ने स्ट्राइक और यूनियन के बारे में कहा । ठीक है । लेकिन लेबर यूनियन में कुछ नेता जिस प्रकार से हमारे दूसरे फील्ड में अधिकारी वर्ग या पालिटिकल फील्ड में 5—10 परसेंट गलत लोग रहते हैं इसी प्रकार से लेबर बोर्ड में भी 5—10 परसेंट गलत लोग यूनिट चलाते हैं । इसके मायने यह नहीं हैं कि लेबर फील्ड में सभी यूनियनें खराब हैं या देश के उत्पादन में नुकसान कर रही हैं । यह जो उत्पादन सिस्टम है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन है और दूसरे मामले हैं, जब तक प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंसेंटिव कल्ब नहीं करेंगे तब तक इस समस्या में दिक्कतें आएँगी । जिन-जिन इंडस्ट्रीज में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है वहां प्रोडक्शन बढ़ा है जहां इम्प्लीमेंट नहीं किया है वहां नहीं हुआ है । दूसरे क्षेत्रों में वर्कर्स पार्टिसिपेशन की बात को

सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने एनाउन्स तो किया है, लेकिन गवर्नमेंट पब्लिक अन्डरटेकिंग में वर्कर्स पार्टीसिपेशन बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में लागू नहीं हुआ है और आज तक वह सिस्टम इनमें लागू नहीं हुआ है तो इस बारे में प्राइवेट मैनेजमेंन्ट में इसको लागू करने के संबंध में बोलने का हमें अधिकार नहीं है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि देश के हर राज्य में इंडस्ट्रियल और लेबर कोर्ट हैं और उनमें जजेज की वेकेंसी हैं। इन कोर्टों में लाखों मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल कोर्ट में मामले पेंडिंग होने का मतलब यह है कि मजदूरों की यूनियनों के मामले हैं और मजदूरों को जल्दी से न्याय नहीं मिल रहा है। आज स्थिति यह है कि इंडस्ट्रियल और लेबर कोर्ट डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के अन्डर में होने के कारण उनमें राज्य सरकारों, अधिकारियों और नेताओं का हस्तक्षेप रहता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इंडस्ट्रियल और लेबर कोर्ट जो राज्य सरकारों के अन्डर में हैं, इस सिस्टम को खत्म किया जाय और इंडस्ट्रियल और लेबर कोर्टस को डायरेक्ट हाई कोर्ट के अन्डर में होना चाहिए ताकि उनमें बाहरी राज्य सरकारों का हस्तक्षेप न हो और जो लाखों मामले पेंडिंग है उनके लिए भी रास्ता निकल सकेगा।

जहां तक ट्रेड यूनियन्स का संबंध है, कुछ राज्यों में जैसे बंगाल में कई मिलें बंद हो रही हैं। बम्बई में हमने देखा कि कोई कपड़ा मिलें गलत ट्रेड यूनियनों की वजह से बंद हुई हैं। इनको भी चैक करना चाहिए और इनको चैक करने के लिए आप जो नया बिल लाए थे, इंडस्ट्रियल ला एमेन्डमेंट बिल, 1988, उसमें कुछ चीजें ऐसी थीं, कुछ गलत चीजें थीं जिनसे मजदूरों के अधिकारों का हनन होता था, लेकिन प्रधान मंत्री जी के हस्तक्षेप करने के बाद उसको रोका गया। हमारे दुबे जी भी इसी मत के थे कि इसमें कुछ त्रुटियां हैं और उनके बारे में जब तक सभी पार्टियों और ट्रेड यूनियनों से चर्चा नहीं करेंगे तब तक इसको नहीं लाएंगे। इस चीज का हम स्वागत करते हैं। इस बिल में जो खामियां हैं उनको दूर करके इसको जल्दी से जल्दी लाना चाहिए।

आखिर में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी लेबर मिनिस्ट्री कामगार मिनिस्ट्री भी है। हमारे देश में जो पांच करोड़ लोग बेरोजगार हैं उनको काम देना भी उसका काम है। हमारे देश में जो अनइम्प्लायमेंट की प्रोब्लम है उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आप जवाहर रोजगार योजना लाये हैं और स्माल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक भी बन रहा है। उसके माध्यम से आपको पांच करोड़ लोगों को काम देना है और दस करोड़ हाथ खाली न रहे। ये अगर खाली रहेंगे तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। इनको काम देने के लिए नेशनल लेवल पर स्कीम बनानी चाहिए ताकि इन सब को काम मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि सुकुल जी जो यह रिजाल्यूशन लाये हैं इससे हमें अपने विचार रखने का मौका मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि दुबे जी जो सजेसन्स दिये गये हैं उन पर गौर करेंगे और इसमें कोई अच्छा रास्ता जरूर निकालेंगे। कांग्रेस की हमेशा से यह नीति रही है कि मजदूर जिन्दा रहें और उद्योग भी जिन्दा रहें और उसी को मद्देनजर रख कर हम काम करें। इस संबंध में जो भी सुझाव दिये गये हैं उन पर आप अवश्य गौर करें। आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Ram Awadesh Singh, your time is ten minutes. Please try to conclude within that time.

श्री राम अवधेश सिंह: मान्यवर, मेरे समय में पाबंदी शुरु में ही लगा दी। प्राइवेट मेंबर में समय की पाबंदी नहीं है।

[श्री राम अवधेश सिंह]

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प को उपस्थित करने वाले श्री पी० एन० सुकुल जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने सदन और सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान असंगठित मजदूरों की दुर्दशा की ओर खींचा है। मैं समझता हूं कि अगर सरकार ने गम्भीरता से इन तमाम सुझावों को लिया, जिन सुझावों की चर्चा यहां पर हुई है, जो सुझाव यहां पर माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये हैं तो निश्चय ही इससे लाभ होगा। मुझे उम्मीद इसलिये भी ज्यादा है क्योंकि आज श्रम मंत्रालय के प्रधान ऐसे व्यक्ति हैं जो श्रमिकों के बीच से ही निकले हैं और मजदूरी की अवस्था से निकलकर, अपना पसीना गिरकर आगे बढ़ते आये हैं। इसलिये उनके मन में मजदूरों के प्रति दर्द है। मुझे उम्मीद है कि जो तमाम सुझाव आये हैं वे उन पर अमल करेंगे।

मैं इस संकल्प के बारे में यह कहना चाहता हूं कि इसमें जो संकल्पकर्ता की नीयत है उसके बारे में मुझे संदेह नहीं। संकल्प के अन्दर आदर्श हैं और उन आदर्शों तक पहुंचने में जो कठिनाइयां हैं, क्योंकि आदर्श हकीकत से टकराते हैं इसलिये वाकई में उन आदर्शों तक पहुंचने में बहुत बाधायें आती हैं। जो इन्होंने संकल्प में गिनाया है कि मूल मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ा जा सके; यह सुनिश्चित करने के लिये व्यवस्था की जा सके कि विद्यमान कानूनों के अंतर्गत जहां कहीं भी न्यूनतम मजदूरी नियत की गई है, वहां उनमें समय समय पर नियमित रूप से संशोधन किया जा सके। यह मंशा ठीक है। लेकिन हकीकत में बात क्या है? अभी जो न्यूनतम मजदूरियां तय हुई हैं वे लागू नहीं हो रही हैं। इसका मूल कारण क्षेत्रीय विषमता है। आज हमारे यहां बिहार के गांवों में कोई किसान मन से भी चाहे दिल से भी चाहे कि मैं न्यूनतम मजदूरी अपने खेतीहर मजदूर को दूं तो भी वह नहीं दे सकता क्योंकि उसकी आर्थिक अवस्था ऐसी नहीं है जो वह दे सके। अभी 18 रुपये 50 पैसे या 56 पैसे बिहार में खेतीहर मजदूरों की मजदूरी नियत की गई है। लेकिन कृषि से जो आमदनी है उस आमदनी से यह संभव नहीं है कि 18 रुपये 56 पैसे, ऐसा कुछ है, इतना इन मजदूरों को दिया जा सके। लेकिन हरियाणा और पंजाब में 40 रुपया भी दैनिक मजदूरी देने में कोई कठिनाई किसान को नहीं हो सकती। कारण कि हरियाणा और पंजाब में प्रति हेक्टेयर 29 क्विंटल औसतन अनाज पैदा होता है। तो यह तो तफरका है इसके चलते अगर हम राष्ट्रीय मजदूर नीति के तहत न्यूनतम मजदूरी बांध लें तो भी हम इसको चला नहीं सकते। जब तक हम क्षेत्रीय विषमता को नहीं मिटाते तब तक यह नहीं हो सकता और इस क्षेत्रीय विषमता को मिटाना कोई आसान काम नहीं है। महोदय, क्षेत्रीय विषमता मिटाने के नाम पर इस देश में क्षेत्रीय विषमता बढ़ गई है। क्योंकि इस संबंध में सरकार की कोई नीति है नहीं महोदय, मैं इस संबंध में एक-दो केंद्रीय सरकार की नीतियों का यहां पर उल्लेख करना चाहता हूं। जिस वजह से क्षेत्रीय विषमता बढ़ी है और उन नीतियों का उल्लेख करना इसलिए भी जरुरी है जब तक वह नीतियां जारी रहेंगी तब तक क्षेत्रीय विषमता बनी रहेगी और क्षेत्रीय विषमता जब तक बनी रहेगी तब तक मजदूरी में एकरूपता सारे देश में कायम नहीं हो सकती है चाहे हम सिर के बल खड़े हो जाएं चाहे कोई व्यायाम करने लगें। यह सम्भव नहीं है। 1954 में एक पालिसी बनी फ्रेट इक्विलाइजेशन की नीति बनी। उसका मकसद था कि जहां खनिज सम्पदा ज्यादा हो वहां सारी दौलत सिमट कर के न आ जाए वहीं सारे कल-कारखाने खड़े न हो जाएं। इसलिए कच्चा माल देश के किसी भी कोने में पहुंचे तो उसकी कीमत एक रहे लेकिन अंजाम यह निकला जहां खनिज सम्पदा ज्यादा है उदाहरण के लिए बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, इन इलाकों में देश की 75 से 80 फीसदी खनिज सम्पदा संचित है लेकिन हुआ क्या है? फ्रेट एक्विलाइजेशन के चलते रेल भाड़ा समानीकरण नीति के चलते बिलकुल उल्टा हो गया है। (व्यवधान)

श्री विट्ठलभाई मोतीराम पटेल : (गुजरात) : इन्फ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिये, अकेले इसी से नहीं चलता।

श्री राम अवधेश सिंह : इनफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है, इसकी गहराई में जब आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। कोयला आपके यहां है नहीं तो आपके यहां बिजली कैसे पैदा होने लगी ? बिजली पैदा होनी चाहिये बिहार में, बिजली पैदा हो रही है हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। क्यों हो रही है इन बातों को ज़रा समझा करिये। रेल माल भाड़ा समानीकरण नीति का मतलब है कि तीन मील का उतना ही भाड़ा और तीन हजार (व्यवधान)

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : आपके यहां का बिहार का कोयला महाराष्ट्र में नहीं आता फार यूअर काइंड इनफारमेशन।

श्री राम अवधेश सिंह : बिना लोहे और ताम्बे के कोई कारखाना खड़ा नहीं हो सकता। बुनियादी चीजें जितनी भी हैं जैसे कोयला, ताम्बा, अभ्रक, यूरेनियम इत्यादि कोई ऐसी धातु नहीं है जो बिहार में पैदा नहीं होती आजकल के आधुनिक युग की। वह जो नीति बनी उसके तहत सब उल्टा हो गया। समस्या सारे देश का सामयिक विकास करना था। जहां खनिज सम्पदा थी वहां यह सम्भावना थी कि सारा धन दौलत और समृद्धि उसी जगह हो जाएगी, वहीं यह सारे कल-कारखाने खड़े हो जाएंगे। इसलिए यह नीति बनाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, श्री सी० डी० देशमुख तत्कालीन वित्त मंत्री, तत्कालीन वाणिज्य मंत्री टी० टी० कृष्णामाचारी और पंजाब के मुख्य मंत्री प्रताप सिंह कैरों ने, इन लोगों ने कहा कि फ्रेट इक्विलाइजेशन बनाएं ताकि देश का सामयिक विकास हो सके। यह डर था कि शायद सारी समृद्धि और कारखाने बिहार में पश्चिमी बंगाल में पूर्वी क्षेत्रों में न खड़े हो जाएं इसलिए उसको मोड़ कर किया गया फ्रेट इक्विलाइजेशन के जरिये। नतीजा आज यह हो गया है कि बिहार में एक भी इंजीनियरिंग कारखाना नहीं है और वहां कोई भी पावर स्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया गया बिहार की तरक्की के लिए कम से कम 24 हजार मैगावाट बिजली बनेगी तब उसका विकास हो सकता है और कल-कारखाने वहां खड़े हो सकते हैं खेतों में पानी मिल सकता है।

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : आसाम को मुफ्त के भाव गैस देते हैं फिर भी वहां उद्योग नहीं बनते हैं।

श्री राम अवधेश सिंह : आसाम को आप लोग 25 हजार मेगावाट बिजली बनाने की योजना दे रहे हैं, आपको मालूम है या नहीं ? ब्रह्मपुत्र बोर्ड के जरिये 25 हजार मैगावाट बिजली बनाने के लिए जब उन्होंने केन्द्रीय सरकार से डंडे से बात करना शुरू किया तब आप यह योजना उनको दे रहे हैं। अब केन्द्रीय सरकार का मन बिगड़ा हुआ है (व्यवधान)

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : अकेले कच्चे माल से कुछ नहीं बनता।

श्री राम अवधेश सिंह : आप जरा समझिये मेरी भाषा। मैं यह कह रहा हूं कि जहां के लोग लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं उनको तो आप दे देते हैं, जहां के लोग नहीं लड़ते हैं...

डा० एम० हाशिम किदवई (उत्तर प्रदेश) : आप भी तो लड़ते हैं।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं लड़ रहा हूं। मेरी बात अभी आप पर असर नहीं कर रही हैं। मेरी बात को जब सड़क के लोग पकड़ लेंगे और सड़क पर मेरी आवाज बुलंद हो जायेगी तब संसद में मेरी आवाज सुनी जायेगी... (समय की घंटी)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Ten minutes are over.

The Minister has to intervene. I can give you only two minutes more.

श्री राम अवधेश सिंह : ऐसा नहीं हो सकता।

श्री विठ्ठल भाई मोतीराम पटेल : ये काम की बात नहीं कर रहे हैं।

श्री राम अवधेश सिंह : काम की बात कर रहा हूं।

पाण्डेय जी हमारे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग समाजवाद की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी समाजवाद चाहती है। मैं चाहता था कि उनके मुंह में घी शक्कर पड़े। समाजवाद जो कहते हैं उसको लाने के लिए एक इंच भी प्रयास करें और मौजूदा सरकार कुछ भी करती तो मुझको संतोष होता...

श्री विठ्ठल भाई मोतीराम पटेल : दिखाई नहीं देता है।

श्री राम अवधेश सिंह : मान्यवर, एक जमाना था कि "समाजवाद" शब्द का इस्तेमाल सरकारी बेंच से बराबर होता था। प्रधान मंत्री यहां अक्सर बोला करते थे या करती थीं लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि प्रधान मंत्री के मुंह से "समाजवाद" शायद ही कभी कभी आता हो और सरकारी मंत्रियों के मुंह से भी कभी नहीं आता और समाजवाद की पहचान यह है कि एक जमाने में इंदिरा जी ने मोनोपोलिस्टिक हाउसेज को, जो एकाधिकारवादी घराने थे उन पर नियंत्रण करने के लिए एम०आर०टी०पी० कमीशन बनाया था, एकाधिकारवादी नियंत्रण आयोग बनाया। यह दफ्तर अभी भी है। कस्तूरबा गांधी रोड पर बड़ा सा दफ्तर है, साइन बोर्ड लगा हुआ है लेकिन अब कोई कांग्रेस पार्टी का उसका नाम भी नहीं लेता कि एकाधिकारवाद खत्म करना है, उन पर नियंत्रण करना है, उनको नियंत्रण में रखना है। कोई बात नहीं होती है। आज मान्यवर, जो मुठ्ठी भर गिने हुए पूंजीपति हैं वे नचा रहे हैं और सरकार उनके सामने बौनी है, सरकार उनके सामने मुंह नहीं खोलती है, सरकार उनके सामने चेरी बनी रहती है। एक से एक सवाल हम लोगों ने उठाये। मैंने सवाल उठाया था टाटा का, कर चोरी का सवाल उठाया था कि दो सौ करोड़ रुपया उसने बिहार और केंद्रीय सरकार के सेल्स टैक्स का मार दिया है। उस "टिस्को" कम्पनी के डाइरेक्टर, एकाउंट्स और डाइरेक्टर, मैटीरियल के बीच में जो पत्राचार हुआ है और उन्होंने जो इस बात को स्वीकार किया कि यह गलत हो रहा है, टैक्स मारा जा रहा है, कभी भी डिटेक्ट हो जायेगा इसलिए इस पर कार्यवाही की जाये, उस चिट्ठी की फोटो कापी मैंने सदन के मेज पर रखी, उसको पढ़कर सुनाया.. (**समय की घंटी**) लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई टाटा के खिलाफ, उसको पकड़ा भी नहीं गया और जांच भी नहीं की गयी और आप लोग कहते हैं, पाण्डेय जी कहते हैं कि हम लोग समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : समाजवाद नहीं होता तो आप यहां पर नहीं होते।

श्री राम अवधेश सिंह : थोड़ा बहुत जम्हूरियत बची है इसलिए मैं बोल पा रहा हूं। आप लोगों की पूरी चले तो एक आदमी को यहां नहीं आने दें.. (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : गला घोंट देते हैं।

श्री राम अवधेश सिंह : घोंट ही दिया है। चुनाव जीता मैं और सर्टिफिकेट दे दिया आपके चुनाव कलेक्टर ने दूसरे को। यह सब लोग जानते हैं तो आप लोग यहां किसी को आने दे सकते हैं? जीतने वाले को बाहर कर देते हैं। सर्टिफिकेट आपके चुनाव कलेक्टर दूसरे को दे देते हैं...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Please try to conclude now. I have already given you more than fifteen minutes.

श्री राम अवधेश सिंह : बात मत करिये समाजवाद की। आपसे आने वाला नहीं है। लेकिन खुदा के लिए, भगवान के लिए जो भी मानते हैं, समाजवाद का नाम मत लीजिए। समाजवाद का नाम लेंगे तो गुस्सा आ जायेगा क्योंकि आप पूंजीवाद की चेरी को तरह काम करते हैं, टाटा और बिड़ला की नौकरी करते हैं और यहां आकर कहते हैं कि हम समाजवाद ला रहे हैं..(समय की घंटी) आप कम से कम अपने पर रहम करिये, देश पर रहम करिये, धोखा मत दीजिए, बहुत दिनों से धोखा दिया है। मैं चाहता हूं आप यह बात मत करिये। ...हम लोगों को कुछ बात करने दीजिए। ...(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Please try to conclude. I will be calling the next speaker. I gave you more than 15 minutes. The Minister has to intervene.

SHRI RAM AWADHESH SINGH : Be fair, Sir. You have given more than 40 minutes' time to one member.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : No, I have not given that much. I have given only 25 minutes...(*Interruptions*)

SHRI M. A. BABY (Kerala) : He is trying to conclude, but how can he conclude ?

(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : I think you are on the last point now.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : वह सोच रहे हैं कि समाजवाद पर कैसे बोला जाए।

श्री राम अवधेश सिंह : समाजवाद आप लोगों के लिए धोखाधड़ी का एक आवरण है, हम लोगों के लिए जीवन है। इसलिए इसके बारे में आप ज्यादा बात मत करिए।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : आप इतने बड़े समाजवादी हैं कि समाजवाद आप पर लज्जा करता है।..(व्यवधान)

श्री राम अवधेश सिंह : वह आप लोगों से शर्म करता है। ...(व्यवधान)

मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि क्षेत्रीय विषमता मिटाए बिना एकरूपता मजदूरी में, देश में नहीं आ सकती। यह व्यावहारिक बात है और क्षेत्रीय विषमता को मिटाने में जो भी कठिनाइयां हैं, उनको निकालना चाहिए, जैसे हमने नीतियों का जिक्र करते हुए, शुरू में कहा एक है—रेल माल भाड़ा सामान्यीकरण नीति।

दूसरी नीति जो है, उसका नाम है—गाडगिल फारमूला—उसके अनुसार आवश्यकता पर आधारित ढंग से योजना राशि का आवंटन नहीं होता है, बल्कि संसाधनों के इकट्ठा करने की शक्ति के ऊपर, योजना विकास राशि का आवंटन होता है। यह बहुत गलत बात है क्योंकि, मान्यवर, विकास तो आदमी को करना है, आदमी के लिए पढ़ाई का इंतजाम करना है, आदमी के लिए दवाई का इंतजाम करना है, आदमी के लिए रोजगार का इंतजाम करना है।

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV : Which Gadgil ?

श्री राम अवधेश सिंह : इसलिए जितनी जनसंख्या जिस सूबे की हो, उस अनुपात में आप दीजिए, क्योंकि प्रदेश से जिले में, जिले से प्रखंड में, प्रखंड से पंचायत में, जो विकास राशि का बंटवारा होता है, वह आबादी के आधार पर होता है, तो फिर क्यों नहीं देश से प्रदेश में जो योजना राशि का बंटवारा होता है, उसका आधार आबादी होना चाहिए और नीड-बस्ड प्लानिंग नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य : आप विषय पर बोलिये।

श्री राम अवधेश सिंह : यही विषय है। यह आपकी समझ के बाहर की बात है। विषय यही है, क्योंकि जब तक क्षेत्रीय विषमता रहेगी, आप कोई राष्ट्रीय एक मजदूर नीति नहीं बना सकते क्योंकि एक जगह कास्ट आफ प्रोडक्शन एक ही चीज का बंगाल में कुछ पड़ेगा और पंजाब में कुछ पड़ेगा, मद्रास में कुछ पड़ेगा और बिहार में कुछ पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में कुछ पड़ेगा और उड़ीसा में कुछ पड़ेगा और जब कास्ट आफ प्रोडक्शन में अंतर होगा, तो मजदूरी एक नहीं हो सकती। आप चाहे जितना बुद्धि का बयान कर लें। यह होने वाली चीज नहीं है। **(समय की घंटी)**

इसलिए राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीयता के लिए जो खतरा है, वह क्षेत्रीय विषमता है।

श्री पशुपति नाथ सुकुल (उत्तर प्रदेश) : अब आप बैठ जाइये, मंत्री जी बोलेंगे।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं कनक्लूड कर रहा । आप बीच में इंटरफियर मत करिए। आपको ही तो मैं कह रहा हूं: उनकी बात तो हम सुनना चाहते हैं।

तो मैं कह रहा हूं कि तीसरी जो नीति है, जिसके चलते क्षेत्रीय विषमता बढ़ रही है, वह खनिज पदार्थों में विभेदकारी रायल्टी का देना है।

अगर आप असम में 25 प्रतिशत पेट्रोलियम पर रायल्टी देते हैं, गुजरात में 25 प्रतिशत रायल्टी देते हैं, तो हमारे यहां कोयले पर वजन से क्यों देते हैं? उसको दाम से लिंक करिए और उसकी भी परसेंटेज करिए। हमको भी 25 प्रतिशत कम से कम या 50 प्रतिशत दीजिए, लेकिन आयरन और में भी वही हाल है, मैंगनीज में भी वही...

श्री पशुपति नाथ सुकुल : आप समर्थन कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं?

श्री राम अवधेश सिंह : मैंने प्रस्ताव के समर्थन में शुरू मे ही बोल दिया कि मैं आपके प्रति बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपके संकल्प प्रस्ताव के माध्यम से हम लोगों को इस विषय पर चर्चा करने का मौका मिला और हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, जो सुझाव दे रहे हैं...यह माननीय श्रम मंत्री जो श्रमिक रह चुके हैं। एक श्रमिक के दर्द को जानते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो बात-चीत करेंगे, यहां चर्चा हो रही है, इनके मन पर असर पड़ेगा और भारत सरकार पूरे तौर पर मिल कर इसके बारे में कुछ बात करेगी और अच्छी बात करेगी, यह हमारे मन में बात है। .. **(व्यवधान)** मैं आपका समर्थन कर रहा हूं, लेकिन मैं यह चाह रहा हूं कि जो बातें आपने लिखी हैं उसके लिए पूंजीपतियों को दबाना जरूरी है। क्षेत्रीय विषमता मिटाना जरूरी है। लेकिन आप जैसे प्रगतिशील लोगों की भी जुबां बंद हो गई। आप कभी मोनोपली हाउसेज के खिलाफ भी बोलते हैं? मैं उम्मीद करता था कि पी० एन० सुकुल जी, रत्नाकर पाण्डेय जी, आप लोग टाटा, बिरला, सिंघानियां, बाटा जैसे जितने हैं इनके खिलाफ में मुहिम चलाइये और मैं उसमें साथ रहूंगा। टाटा की कर चोरी जगजाहिर है, सरकार क्यों नपुंसक है? ... **(व्यवधान)**

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मजदूरों का मैनेजमेंट में शेयर होना चाहिए।

श्री राम अवधेश सिंह : बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं, मैं समाजीकरण का पक्षपाती हूं कि मजदूर भी कारखाना चलायें और लाभ-हानि में उसका हिस्सा

हो, वह उसका मालिक हो। वह बताइये, मैं उससे पीछे थोड़े ही रहने वाला हूं, लेकिन आप लोग तो मुंह से बोलते हैं, वास्तव में करते नहीं हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : You try to conclude. I will call the next speaker. I have given you more than 23 minutes.

SHRI RAM AWADHESH SINGH : One minute, Sir. मैं यह कहना चाहता हूं, मान्यवर, इस सरकार से अपील कर रहा हूं कि यह जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं, आदर्श भावना है, इस आदर्श भावना को हकीकत में उतारने के लिए जो कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों का इजहार मैंने खुलकर किया कि यह क्षेत्रीय विषमता और पूंजीपतियों की लूट और एकाधिकारवाद को बढ़ावा, ये मूल कारण है। जब तक एकाधिकारवाद चलता रहेगा, इजारेजारी चलती रहेगी तब तक आप चाहेंगे कि एक राष्ट्रीय मजदूर नीति हो जाए तो वह नहीं होने वाली है और इसके मार्ग में जितनी कठिनाइयां हैं उनसे पहले लड़ना जरूरी है। तब जाकर आप एक राष्ट्रीय मजदूर नीति कायम कर सकते हैं, वरना जितनी बातें आपने इसमें लिखी हैं, वह कोई होने वाली नहीं है और कोई सरकार नहीं कर सकती है। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Mr. Lenka, I give you only five minutes. Then the Minister will intervene. Therefore, kindly finish within five minutes. No more time will be given.

SHRI KAHNU CHARAN LENKA (Orissa) : I will try to conclude within five minutes.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV : Sir, me also.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : No chance for you.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV : Why ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Because the Minister will speak for about 40, 45 minutes.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV : If you give him five minutes, please give me also five minutes, at least two minutes.

SHRI KAHNU CHARAN LENKA . Mr. Vice-Chairman, Sir, I find that Mr. Sukulji has brought this important Resolution in this House for discussion. This Resolution relates to the working class of the soceity, which constitutes the majority of the population in the country. According to the 1981 Census, the labour force in the country is 222 million, out of which 10 per cent is in the organised sector. So, 90 per cent of the labour force, that which lives in the villages, is unorganised. They have no unions, they have no organisations which will protect their interests, which will fight against employers, which will fight against injustice. I hope that during this Ministry, during the tenure of Mr. Bindeshwari Dubey who has spent most of his career in the labour field, he will certainly bring a comprehensive legislation for this labour class, and I think that if he will be able to bring laws by which the labour force will benefit, he will be remembered in history. I have faith in him. I request him that during his tenure he should bring in laws for the benefit of the poor people. Dubey Ji knows the precarious conditions in which the agricultural and landless labourers live in the villages. The custom is that the major sons after their marriage live separately with their wives and children and old parents are left uncared for. What provision is the hon. Minister going to make for them ? Those who contribute to the country's production, on attaining old age, are not

[Shri Kahnu Charan Lenka]

covered under the old-age pension scheme. The present rule is that those who have got earning members will not be eligible for pension. But in actual practice even though they have got major sons, they are not looked after by them generally.

Secondly, unless you see the conditions in which they are living, you cannot imagine the conditions in which they are put. They have to work hard. And if they are unable to work because of some disease their children starve. Agricultural economy is the backbone of our country and if the standard of living of the agricultural working class is not improved, how can you expect that the country will develop ? Of course, there are laws for the agricultural labour, but I would like to draw the attention of Dubey Ji to the fact that they are not strictly observed. The wages of the agricultural labour are in fact, determined by the level of employment. They are fixed at the employer's will. Is there any law to punish those who violate the Minimum Wages Act ? The responsibility of encorcing the laws for the benefit of the labour is that of the Labour Ministry. Sir, you know the structure of the Labour Department. For the districts there is only one Labour Officer having five or seven Assistant Labour Officers. Obviously they are unable to enforce the Minimum Wages Ac .

Now, I come to the Equal Remuneration Act, which is designed to protect the interests of women labourers. This Act needs a drastic change. The women are not getting equal wages along with men. In every State laws are being violated.

Secondly, the minimum wages fixed in all States are far, far below the minimum needs of a person. Sir, Rs. 10 and Rs. 15 per day is nothing for a man who has got two or three children in the family to maintain. The first thing that I want to draw the attention of the Government is to the wage structure of the country in the public sector undertakings, Government departments and in the private enterprises. You will see in the Government department, a person is getting Rs. 10,000, Rs. 5,000, Rs. 3,000 minimum salary. He is drawing Rs. 100 per day. On the other hand, you will see that the agricultural labourers who are living in the villages are getting hardly Rs. 5 or 6 per day. So this is the difference. One is getting Rs. 100 per day and the other Rs. 5 per day. Will it help a socialistic country to develop ? So this needs now a drastic change in the whole structure, wage structure in the country. The first duty and the prime duty of a socialist Government is to fulfil the minimum needs of a person. After fulfilling the minimum needs, you can increase the salaries of the officers, bosses and white elephants. So I request the Minister that he should look into this matter. If he brings a comprehensive Bill for the labour class in the country, he will be remembered in history. I have so many suggestions to make but you rang the bell and so I will not go into the details. My career is in the labour field and I have got a number of things to be discussed here but I will do so some other time. I thank Mr. Sukulji for bringing forward this Resolution before this House. In the 20-point programme, Indiraji included three points for the labour class because she understood that the labour class are the backbone of the country. Now, Rajivji has strengthened this 20-point programme and highlighted the points concerning the labourers. May I know from the Minister whether the Labour Department is equipped with all sorts of powers to punish all the industrialists who are violating the laws ? So now it requires amendment of the Act. I suggest you should give more powers to the Labour Department. The Labour Officers have become toys in the hands of the industrialists. There are no pro-

per working conditions in the industries. The labourers have to work in unhealthy conditions. In the broad daylight they are violating the laws. You ask your Labour Officers; they will tell you the actual position. They say : "We are helpless. We cannot do anything. We can only make" conciliatiory effort with them.if No provision has been made in the Act to punish the Labour Officers up. till now. So this is the time under the leadership of Shrt Rajiv Gandhi, who has brought Jawahar Rozgar Yojana to the Panchayats. that the minimum wages are fixed now. Otherwise, the benefits of the Jawahar Rozgar Yojana would be taken away by the middlemen. In the villages the Jawahar Rozgar Yojana is going to be implemented and a major portion of the money is earmarked for labour-intensive works. So, it is necessary to bring a comprehensive Bill for the poorer sections of the society who are the centres of economy in our society.

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश) : श्रीमान, श्री पशुपति नाथ सुकुल के द्वारा 28 जुलाई, 1989 को जो संकल्प, जो प्रस्ताव इस सदन के अन्दर पेश किया गया, उसका स्वागत करते हुए मै तीन सूचनाएं देना चाहता हूं। इन्होंने इस प्रस्ताव के जरिए एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति की मांग की है और यह इसलिए कि जो मजदूर संगठित या असंगठित है, आज तक कोई उनकी भलाई के लिए, उनके सुधार के लिए, उनके जीवन को ऊंचा बनाने के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए या उनके रोजगार के लिए कोई ऐसी राष्ट्रीय नीति नहीं बनी जिससे कि उनमें सुधार हो। इसलिए इस प्रस्ताव के जरिए सुकुल जी ने राष्ट्र और सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाया कि मजदूरों की भलाई हो।

इसमें उन्होंने आठ चीजें बताई हैं। इस प्रस्ताव के जरिए से जब तक इनको न किया जाए तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता। मै स्वागत करते हुए इस में कुछ संशोधन लाना चाहता हूं और वह यह कि जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा, आपका यह प्रस्ताव कुछ ठीक ढंग से बैठ नहीं सकेगा। मेरा पहला सुझाव यह है आपके इस प्रस्ताव में कि संविधान का संशोधन होना चाहिए। सबसे पहले यह कि कांस्टिट्यूशनल एमेंडमेंट राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार हो। जब तक यह कांस्टिट्यूशनल एमेंडमेंट के जरिए नहीं होगा संविधान में, आप किसी भी सूरत में जितने भी प्रस्ताव यहां लाएे जितने भी कानून बनाऐ, वे सब कागज पर रह जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं होगा। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि, आपने कहा है और प्रस्ताव में भी मांग की है कि राष्ट्रीय मजदूरी नीति होनी चाहिए, नेशनल वेज पालिसी होनी चाहिए सारे देश के लिए और इसको सफल बनाना एक जरूरी चीज है। जैसे चित्त बसु जी ने एक संशोधन पेश किया, मैं नहीं समझता कि सुकुल जी ने उसको सुना या नहीं सुना उनका संशोधन था :—

The Government should reorient its ecnomic policies to give effect to the above proposals.

आपके जो सुझाव हैं, जब तक आर्थिक नीति को सरकार नहीं बदलेगी, तब तक यह सब बेकार हो जाएंगे, इनका कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मै सुकुल जी से यह प्रार्थना करूंगा और साथ ही साथ मंत्री महोदय यहां बैठे हुए है,, उनसे भी मेरी यह प्रार्थना है कि देश की इस बड़ी संख्या को, जिसमें अभी चित्त बसु जी बता रहे थे कि 6 करोड़ खेतिहर मजदूर आज बेरोजगार हैं देश में। अभी पता नहीं दूसरे कामों के कितने लोग बेरोजगार हैं? इस समस्या को कैसे हल किया जाएगा ? इसलिए मै चाहूंगा कि इस समस्या को सही मायनों में अगर हल करना चाहते हैं और सुकुल जी तहे-दिल से मजदूरों की जो समस्या देश के अंदर पैदा हो गई है उसको ठीक ढंग से हल करना चाहते हैं तो चित्त बसु जी ने जो सुझाव दिए है और जो सुझाव मैंने दिए हैं उनको इस प्रस्ताव मे जोड़ें और इसके साथ-साथ सरकार को चाहिए

[श्री वी० सत्यनारायण रेड्डी]

कि इन तमाम सुझावों के अनुसार जो संशोधन हमने पेश किए हैं इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार को इस प्रस्ताव को मानना चाहिए और देश की जो कठिन समस्या है मजदूरों की, इसका हल होना चाहिए ।

आपका शुक्रिया कि आपने मुझे समय दिया । धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Mr. Vtthalrao Madhavrao Jadhav, kindly confine yourself to two minutes.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV : Sir, I will take three minutes, not more than that.

Sir. there are two types of workers in our country. One is the organised sector and the other is the unorganised sector. The organised sector includes big industries, mills, public sector industries. small scale industries and private industries. There are othertypes ofworkers who come under the trade sector. Then Mathady Kamgar Haman, government servants and workers in private big industries come in addition to construction workers who number more than two crores and form whom late Kayanasundaram, who was an hon. Member of this Houset brought a Bill. These are labour in the organised sector. The unorganised sector incfudes agricultural labourers. small farmers, fisherman, Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The main problem of our country is about the unorganised sector. Another important sector of this labour cell is Mahila Kamgar women workers. Then come forest workers. Thendu Pathai beedi, workers and child labour. These are very important. Every day, these people are being exploited in our country by the haves. It is a question of haves an' have-nots. We have to give soctal an economic justice to the people who are have nots'

Sir, I have another suggestion to make. Agro-industrial societies should be created in this country because unless we go towards agro-industriaf societies, unless agriculturists and agricufrural labourers who form 70 to 75 per cent of the labour in our country, get economic justice, the problem cannot be solved. There are so many mills which have gone sick. I would like to suggest in this House that they should be run by cooperative labour societies. In Bombay there are so many cooperative labour societies coming forward to run sick textile mills. From that point of view, we must have a new economic policy. That new economic policy should be based on socialism and economic imbalances should be removed. Our planning process should be in such a way that planning is formulated on the basis of population and geography. A new direction should be given to the planning process so that there may not be exploitation of anybody who is born on this soil. Everybody is labourer, big or small. We are talking about the problems of small labourers who are getting exploited in this country. Tatas and Birlas are big labourers who earn crores of rupees daily. One of my hon. friends here said the man-in-the-street earns Rs. 18/- to Rs. 40/- a day. It is nowhere obtaining. Labour charges are only Rs. 10/- to Rs. 12/- per worker. These people are getting exploited today when prices are rising. These people should get justice. Hon. Mr. Dubey who is a renouned labour leader of this country and who is holding charge of the labour department must thoroughly study the suggestions given by hon. friends Shrt P. N. Sukul, and he must formulate a comprehensive bill so that the poor people who belong to the labour class who are eighty per cent of the population of the country get social and economic justice.

With these few lines, I conclude. Thank you very much, Sir.

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे विद्वान सदस्य श्री पी० एन० सुकुल जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह बिल्कुल संगत, सोजू और सुचिन्तित है और बड़े नेक उद्देश्य से लाया गया है और मैं सर्वप्रथम ही कहना चाहता हूं कि उससे सरकार को सैद्धान्तिक सहमति है।

जहां कुछ माननीय सदस्यों ने उनका समर्थन करते हुए प्रस्ताव की प्रशंसा भी की, मुझे श्री चित्त बसु जो श्रमिक नेता हैं, जो श्रमिक आन्दोलन से बहुत पुराने जमाने से संबंधित रहे हैं, उनकी कुछ बातों से दुख और आश्चर्य हुआ है। पी०एन० सुकुल जी के इस प्रस्ताव में उन्होंने कुछ राजनीति देखी है और कुछ चुनावी रणनीति की गंध कैसे मिल गयी यह वह ही जानते हैं। वह जानना चाहते हैं कि इसमें क्या सचमुच सिंसीयरिटी है या इलेक्शन गिमिक है। मुझे बड़ा दुख हुआ और यह कहने से अपने को रोक नहीं सका। श्री सुकुल का प्रस्ताव संविधान के मार्ग निर्देशक सिद्धांतों के अनुकूल है जो हमारे संविधान रचियता, हमारे संविधान के नेताओं ने निर्णित किये हैं। उन्होंने इसके लिए आठ सुझाव दिये हैं। मैं बताना चाहता हूं कि उनके सुझावों के क्रियान्वयन में हमारी सरकार ने क्या किया हैं। उन्होंने इस प्रस्ताव में स्वीकार किया है कि इन मार्ग निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जहां सरकार ने बहुत सारे कल्याणकारी कानून बनाये हैं वहां सिर्फ उन्होंने इस प्रस्ताव में यह कहा कि समय के परिवर्तन के साथ-साथ जिस गति से मजदूरों की हालत में जो संगठित या असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं उसके कार्यान्वयन में प्रगति होनी चाहिए थी वह नहीं हो पायी। इसलिए उन्होंने कुछ सुझाव दिये।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : प्रस्ताव में कहा गया है कि अधिक सुधार नहीं हुआ है।

श्री बिन्देश्वरी दुबे : आप उसको पढ़िये। मैं पढ़ रहा हूं :

"Having regard to the fact that although Government has enacted a number of labour welfare laws, keeping in view the Directive Principles of State Policy..."

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : उन्होंने कहा है कि सुधार नहीं हुआ है।

श्री बिन्देश्वरी दुबे : अगर मेरे पास समय होता तो मैं एक-एक सदस्य का जवाब देता, दे सकता था। सिर्फ मूल प्रस्ताव तक ही अपने को समेटे रखना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा जो मार्ग निर्देशक सिद्धांत है उसके लिए जो भी किया जा सकता है कानून बनाये जा सकते थे उसके क्रियान्वयन की दिशा में कदम उठाये जा सकते थे वे उठाये गये। लेकिन उसमें बहुत सारी कठिनाइयां भी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही उस पर काफी चिन्तन हुआ है। 1948 के इंडस्ट्रियल रेजोलूशन से लेकर उसके बाद 1956 का इंडस्ट्रियल रेजोलूशन आया और इस सम्बंध में कई कमेटियां गठित की गयीं। उन्होंने भी इस पर चिन्तन किया। फेयर वेज कमेटी ने भी चिन्तन किया है नेशनल कमीशन ओन लेबर ने भी चिन्तन किया है। लेबर मिनिस्टर्स कान्फरेंस हुई उसमें भी कई बार चिन्तन हुआ। कंस्टीट्यूशन के आर्टीकल 43 का भी जिक्र किया गया है इस रेजोलूशन में। मैं उसको कोट करना चाहता हूं :

Article 43 : "The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural areas."...

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY : The State has failed in this regard.

श्री बिन्देश्वरी दुबे : इस दिशा में प्रयास हुए हैं या नहीं इस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। लेकिन इसके पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि फेयर वेज कमेटी सरकार ने बनायी। उस कमेटी ने जितने देश के अर्थशास्त्री हैं, विद्वान हैं, मजदूर आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं और दूसरे विद्वान हैं उनके साथ विचार विमर्श किया। काफी चिन्तन और मंथन इस बारे में हुआ।

और उन्होंने जो राय व्यक्त की है उसको मैं कोट करना चाहता हूं :—

"The Fair Wage Committee has stated that any attempt to involve the principles governing the payment of wages must be against the background of the general economic condition of the country and the level of the national income."

इसी तरह से नेशनल कमीशन आन लेबर ने भी इस पर काफी चिन्तन किया और सभी वर्ग के लोगों से विचार-विमर्श किया। नेशनल कमीशन आन लेबर ने राय व्यक्त की जो देश के बहुत बड़े न्यायविद थे, उन्होंने कहा—

"In an economy in the process of development and with people wedded to democratic institutions the difficulties in framing a wage policy are manifold. It is in this setting that we have to view the various issues connected with the wage policy in our country."

एक नेशनल वेज पालिसी बना दो, यह कहना आसान है, लेकिन नेशनल वेज पालिसी को इम्प्लीमेंट करना कठिन है और उसके अनुकूल परिस्थिति जैसे-जैसे बनेगी, उस दिशा में प्रयास होते जाएंगे। उन्होंने जो आठ सुझाव दिये हैं, मैं बताऊंगा उन सुझावों में कौन-कौन से सुझावों को इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके लिए इंडियन लेबर कांफ्रेंस बुलाई गई। सबसे जो टोप मोस्ट ट्राइपार्टाइट बोडी जिसको कह सकते हैं और जो साधिकार पूरे देश के श्रमिकों के संबंध में बोल सकती है, पूरे वेज पालिसी के संबंध में बोल सकती है, राय व्यक्त कर सकती है उन्होंने भी इस मामले पर विचार किया और उन्होंने मिनिमम वेजज के संबंध में कहा—

"The Indian Labour Conference which considered the need for a national minimum wage expressed the view that till such time a national wage becomes feasible, it would be desirable for the Central Government to lay down guidelines for the regional minimum wage."

स्पष्ट है कि इस संबंध में अपने देश के जानकार, इस विषय के जानकार विद्वानों के क्या मत हैं। जहां तक उन्होंने प्रयास की बात कही, इस संबंध में जो प्रयास हुए हैं, वह भी मैं बताना चाहूंगा। न सिर्फ इस संबंध में कानून बनें और कानून तो बनें, मिनिमम वेजज एक्ट बना, उसके लिए क्या नार्म्स होंगे, वह भी नेशनल लेबर कांफ्रेंस में डिसकश हुआ। नेशनल लेबर जो कमीशन था, उसने भी इस पर विचार किया और उसने नार्म्स भी दिये। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना, पेमेन्ट आफ वेजज एक्ट बना और बहुत सारे एक्ट्स बने, इक्वेल रिम्यूनरेशन एक्ट बना, मिनिमम वेजज के बारे में काफी बातें हुई। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या उचित समय आ गया है कि तत्काल कोई नेशनल वेज अभी बन सकता है? इस प्रश्न पर विचार करना होगा। जहां तक मैंने कहा कि नेक-नियती से यह संकल्प लाया गया है। सरकार का सिद्धान्तः इससे मतभेद नहीं है और मैं यह कहना चाहता हूं कि राजीव गांधी की सरकार पसीने की कमाई खाने वालों के लिए, उन सारे वैसे इंसानों को अच्छी इंसानी जिन्दगी और समाज में प्रतिष्ठा देने के लिए कटिबद्ध है, वहां इस बात की भी आवश्यकता है कि हमें इसके लिए उचित माहौल तैयार करना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी अर्थ व्यवस्था वैसी हो कि वैसा समय हम

शीघ्र ला सकें, हम एक नेशनल वेज पालिसी बना सकें। ऐसा कहना कि हमारी जो आर्थिक नीति है वह सही नहीं है, मैं समझता हूं कि यह विकृत दिमाग की ही उपज हो सकती है। आज जिस तेजी के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है, जिस तेजी के साथ आर्थिक प्रगति हो रही है उसको देख कर दुनिया के दूसरे देश चकाचौंध में पड़ गये हैं और हमारे देश के कुछ लोग हमारी आर्थिक नीतियों को त्रुटिपूर्ण बतायें तो यह आश्चर्य की ही बात हो सकती है। या तो उनमें ज्ञान के अभाव की बात या ज्ञान की कमी की बात कही जा सकती है या जानबूझकर राजनैतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर ऐसी बात कही जाती है। इसके अलावा अन्य कोई बात नहीं हो सकती है।

चित्त बसु जी ने कहा कि नेशनल वेज पालिसी के पहले नेशनल इम्पलाईमेंट पालिसी होनी चाहिये। नेशनल इम्पलाईमेंट पालिसी है। सप्तम पंचवर्षीय योजना में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये गये। उन आंकड़ों में संबंध में मैं जवाब दे सकता हूं लेकिन जैसा कि मैंने कहा समय कम है इसलिये मैं इस पर अधिक नहीं कह सकता। लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि जो इम्पलाईमेंट एक्सचेंज के आंकड़े हैं वे सही नहीं हैं। एक व्यक्ति नौकरी पाने के लिये न सिर्फ एक इम्पलाईमेंट एक्सचेंज में बल्कि कई-कई एम्पलाईमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज कराता है। इम्पलाईमेंट मिलने के बाद उसको खुद कहना चाहिये कि मेरा नाम काट दिया जाय लेकिन वह ऐसा भी नहीं करता है, रेन्यूवल वह समय पर नहीं कराता है। कई सारी त्रुटियां इस व्यवस्था में हैं। इसलिये इम्पलाईमेंट एक्सचेंज में जो रजिस्टर्ड नाम हैं वह सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं करते। नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गनाइजेशन जो प्लानिंग कमीशन के सांख्यकी विभाग का है उसने कुछ आंकड़े दिये हैं कि कितना इम्पलाईमेंट इस पंचवर्षीय योजना के पूर्व में और छठी पंचवर्षीय योजना के अंत में था। उसके बाद जो इम्पलाईमेंट पालिसी हमने बनाई, प्लान डाक्युमेंट बनता है, प्लान के हिसाब से अगर हमारी आर्थिक प्रगति, हमारा आर्थिक ग्रोथ 5 प्रतिशत के हिसाब से होता या तो इस योजना अवधि में इम्पलाईमेंट के लिए जितने हाथ उपलब्ध होंगे उससे ज्यादा इम्पलाईमेंट हम दे सकेंगे। इससे करीब-करीब एक मिलियन से ज्यादा को नियोजन मिल सकेगा। इस प्रकार हमारा जो बैकलाग था 9 मिलियन का उसमें से एक मिलियन के करीब इस इम्पलाईमेंट द्वारा निकल जायेगा। इस तरह से जो हम आठवीं पंचवर्षीय योजना का करने जा रहे हैं उसमें हमारी क्या स्ट्रैटजी होगी उसका भी हम निर्धारण करने जा रहे हैं। जवाहर रोजगार योजना कितनी बड़ी बात हुई? वह इम्पलाईमेंट पालिसी के क्रियान्वयन की दिशा में एक ऐतिहासिक और क्रान्तिकारी कदम है जिसमें 2640 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। देश में जितने भी लोग गरीबी की रेखा के नीचे के हैं उन परिवारों के एक-एक व्यक्ति को नौकरी देने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसको क्या आप मामूली बात समझते हैं? यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसको हम पूरा करने जा रहे हैं। इसलिए हम ऐसा नहीं मानते हैं कि देश के पास कोई इम्पलाइमेंट पालिसी नहीं है। गुलामी से जर्जर देश जिस देश में एक सुई बनाने का उद्योग भी नहीं था, जो देश दाने-दाने के लिये मोहताज था उस देश में क्या ये सारी चीजें एक दिन में हो सकती है? हम इस दिशा में आगे बढ़ हैं। सुकुल जी ने अपने रेजोल्यूशन में कहा है कि:

> "provision is made to ensure that periodical revision of minimum wages, wherever these have been fixed under the existing laws, take place regularly."

मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हमने और हमारे पूर्ववर्ती जो श्रम मंत्री थे उन्होंने विभिन्न.....

[उपसभापति महोदया पीठासीन हुई]

राज्यों के श्रम मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था। 1987 में यह निर्णय हुआ था कि प्रत्येक दो वर्ष के बाद न्यूनतम मजदूरी में आवश्यक सुधार लाया जाय।

[श्री बिन्देश्वरी दुबे]

दो वर्ष या 50 सूचकांक में वृद्धि हो तो उसमें सुधार लाया जाय । इस दिशा में कार्य भी किया गया है । अभी मैंने जो सम्मेलन बुलाया श्रम मंत्रियों का, उसमें हमने यह निर्णय भी लिया, श्रम मंत्रियों की सहमति से कि न सिर्फ दो वर्ष में न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि हो बल्कि ऐसा कुछ उसमें प्रावधान किया जाय जिससे वैरियेबल डियरनेस अलाउन्स जो वैरियेबल कम्पोनेंट हैं, जो मूल्य बढ़ता है, उस मूल्य की कास्ट आफ लिविंग में वृद्धि को कम्पन्सेट करने के लिये कोई नियम

5 P.M) बनाया जाए । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जो उद्योग केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं उन में हम लोगों ने वेरियेबल सिस्टम लागू किया है । 37 प्रोसेसेज हैं, माइंस और दूसरे प्रोसेसेज हैं जो केन्द्रीय अधिकार क्षेत्र में हैं वहां वेरियेबल डियरनेस अलाऊंस सिस्टम हम लोगों ने लागू किया है । जैसे ही प्राइस इंडेक्स में वृद्धि होगी उसके फलस्वरूप जो वेजेज में इरोजन होगा उसको फुली कम्पनशेट करने के लिए हम लोगों ने फारमूला तैयार कर के केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में दिया है लेकिन यह सब को विदित है कि यह कनकरेंट सब्जेक्ट है । हम कनकरेन्ट पावर ले कर कानून बनाते हैं और राज्य सरकारों को भी श्रमिकों के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार है । कई राज्य सरकारों ने अपने मिनिमम वेजेज एक्ट बनाए भी हैं । जितने भी श्रमिकों के संबंध में हम कानून बनाते हैं उनके कार्यान्वयन का पूरा अधिकार राज्य सरकारों को है । उनके अधिकार क्षेत्र में है । हम कोई भी दखल-अंदाजी नहीं कर सकते हैं । संविधान में राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के अधिकारों को सीमा बंटी हुई है । आप जानते हैं कि काफी कंट्रोवर्सी, विवाद अभी केन्द्र और राज्य सरकारों के अधिकारों को ले कर छिड़ा हुआ है । सेंसेटिव बात बन गई है (व्यवधान)

उप-सभापति : दुबे जी पांच बजा चुके हैं और प्राइवेट मैम्बर्ज बिजनेस का टाइम खत्म हो गया है ।

श्री बिंदेश्वरी दुबे : मैं अपने वक्तव्य के अंत में यह आश्वासन देना चाहता हूं कि एक नेशनल वेज पालिसी का निर्धारण करने की दिशा में जितना भी प्रयत्न जितना भी प्रयास सम्भव है किया जा रहा है और जो श्री सुकुल जी ने सुझाव दिया है वह सर्वोत्तम सुझाव है । उन सुझावों में से कई तो कार्यान्वित किये जा रहे हैं और कई कार्यान्वित करने की दिशा में काफी प्रगति हुई है । यद्यपि मैं सैद्धान्तिक रूप में स्वागत करता हूं उस में कोई मतभेद नहीं रखता मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी वे अपना रेज़ोल्यूशन वापिस ले लें क्योंकि उसके लिए उपयुक्त समय अभी नहीं आया है । साथ ही दूसरे संशोधन जिन माननीय सदस्यों ने पेश किये हैं वह संशोधन तो मैं बिलकुल मानने को तैयार नहीं हूं । वह तो सैद्धान्तिक रूप से गलत हैं और मैं उनका विरोध करता हूं । धन्यवाद ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Chitta Basu, are you withdrawing your amendment ?

SHRI P.N. SUKUL : Madam, I have a right to reply. I will take five minutes.

I thank the Members for extending their support to my Resolution. My colleagues who spoke on the Resolution have offered very valuable suggestions. Eight Members had spoken on 28th July and today eight more Members have spoken. In all, 16 Members from my party as well as from the opposition parties have spoken on my Resolution. I thank them all for their compliments to me for bringing this Resolution for discussion in this august House.

Most of them have spoken about matters such as employment, child labour, women labourers and other Directive principles of State Policy. However, the purpose of my Reso-

lution was very much restricted and limited. It was only to draw the attention of this august House and the Government to the need to formulate and adopt a national policy about wages of workers, whether in the organised sector or in the unorganised sector and whether in urban or in rural areas. There is no doubt that due to lack of scientific and national approach to the problem, there is dissatisfaction and discontentment among the workers. This results in strikes, discord, loss of mandays, lock-outs as well as loss of production.

My friend, Shri Chitta Basu, by his amendment has said that we should change our economic policy. I am afraid I cannot agree with him. Shri Satyanarayan Reddy has supported the amendment. So, I do not agree with him too. Our economic policy has been formulated on a very solid and strong foundation. It is a planned economy to bring about socialism through democratic means wherein public sector will have a dominant role to play. The commitment of our Constitution to workers participation in management is evident from Article 43A. In other words, the direction of our economic policy is definite and well-laid both in the Constitution and in several plans. I therefore, do not think that there is any need for rethinking on the economic policy as a whole.

Mr. Chitta Basu called the Resolution an election gimmick. But I want to tell him that had it been an election gimmick, it would have come from the Government, not from the Private Member. (*Interruption*) Shri Satya Prakash Malaviya, while supporting the Resolution, attributed motives and doubted Government's intention about Jawahar Rozgar Yojana. While we have already discussed the Yojana, we will be discussing the Panchayati Raj Bills very soon. If Shri Malaviya had correctly appreciated the scope of my Resolution, we would not have passed remarks against these two issues. So far as the Panchayati Raj Bills are concerned, we are going to discuss it and, therefore, I do not want to take the time of the House in projecting the merits of the Bill. Both the Bills are people-oriented and aim at devolving power to the people at the grass-roots level. Only those who have a tendency of a Doubting Thomas doubt the bona-fide intentions of the Governmente But the public at large knows thl truth and, therefore, they have we-comed these two Bills.

As I said earlier, Madam, my intention of moving this Resolution was to highlight the neglected aspect of the workers' welfare. I wanted that the Government should formulate a National Policy on Wages so that the discard and the industrial disharmony is removed, peace reigns in industry and production gets a boost and workers contribute whole heartedly towards the national reconstruction. I am happy that the House supported my Resolution. However, in view of the hon. Minister's remark that the existing conditions are not conductive to the formulation of a National Wage Policy though the Government agrees with the spirit of my Resolution in principle, and that I should withdraw this Resolution at present, I do not want to press the Resolution, Madam, and I seek the leave of the House to withdraw the same. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Chitta Basu, are you pressing your Amendment.?

SHRI CHITTA BASU : No.

The Amendment was, by leave, withdrawn.

The Resolution was, by leave withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Before I call upon the Transport

[The Deputy Chairman]

Minister to make his statement, I have to make an announcement that Shri Natwar Singh, the Minister of State in the Ministry of External Affairs, will make a statement in the House today regarding Tibet.

—

STATEMENTS BY MINISTERS

III Removal of difficulties in implementation of Motor Vehicles Act, 1988 and Motor Vehicles Rules, 1989

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJESH PILOT) : Madam Deputy Chairman,

Hon'ble Members will recall that the Motor Vehicles Act, 1988 and the Rules framed under it came into effect from 1-7-89. The new Act replaced the Motor Vehicles Act, 1989. The formulation of the new Act and Rules were preceded by detailed examination of the needed changes not only by Central Government and State Governments but also by representatives of the transport industry, trade and commerce. Since the enactment of old Motor Vehicles Act in 1939, a sea change has taken place in the transport scenario and in response to these changes, it was considered necessary to make substantial modifications to the provisions of the M.V. Act, 1939 with a view to promoting road safety, improving the qualifiction of drivers, prescribing standards for construction of vehicles, controlling pollution and removing some major constraints on the healthy development of the transport industry and new Motor Vehicles Act received the overwhelming support of this House.

During the course of the implementation of the Act and the Rules, Government have received from affected interests suggestions for effecting certain modifications. The Act and Rules have been formulated to subserve the interests of the citizens of this country and, therefore, Government have given the most urgent consideration to the suggestions received and the difficulties pointed out.

Of and on, whenever points were raised in the House, I had already said that the Government's mind is open because it is a major change in the statute. We have made nearly 400 Amendments in this Motor Vehicles Act. So, any time we feel any hardship in any clause to our brothers and sisters, Government's mind is open to react to that and we see that that hardship is removed.

I have considered carefully the suggestions received from hon. Members of this House. I have also held wideranging discussions with representatives of States and Union Territories and also considered various representations received by Government. Two or three days back, a meeting of the Transport Secretaries of all the States and Union Territories took place and we had a very detailed discussion about what practical difficulties the Authorities felt, what observations were given by the citizens to the authorities and what could be done to remove those hardships and problems.

In the light of these, it has been decided that certain modifictions to the Rules framed under Motor Vehicles Act, 1988 would be desirable. The important changes that Government have decided to bring about are briefly listed below :—

Rule 5 of Central Motor Vehicles Rules, 1989 prescribe the Form of medical certificate which is to accompany the application for learner's licence. It has been decided to simplify the application Form. State Governments have also been requested to authorise all registered medical practitioners possessing the qualifications of MBBS to issue the